शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टाफ कालिज

वार्षिक रिपोर्ट
1976-1977

17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016

विषय-सूची

प्रस्तावना	1
I. प्रशासन, निधि और वित्त	
लक्ष्य और उद्देश्य	7
परिषद्	8
कार्यकारी समिति	8
निधियां और वित्त	9
छात्रावास	9
कर्मचारी वर्ग	9
II. कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की समीक्षा	
भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए वित्त प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	13
सांख्यिकी-अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।	16
जम्मू-कश्मीर में महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	18
हरियाणा के शिक्षा-अधिकारियों के लिए शैक्षणिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास पाठ्यक्रम ।	21
राजस्थान के शिक्षा-अधिकारियों के लिए शैक्षणिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास-पाठ्यक्रम ।	24
लक्षद्वीप के माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए शैक्षणिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	27
हरियाणा के महाविद्यालयों के लिए अभिविन्यास-पाठ्यक्रम ।	29
उत्तर पूर्व पर्वतीय यूनीवर्सिटी के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास-कार्यक्रम ।	32
राष्ट्रीय सेवा-योजना के प्रधान कार्मिकों के लिए अभिविन्यास-कार्यक्रम ।	34
उत्तर-पूर्व अंचल के शिक्षा-सचिवों/लोक-शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी।	36
ग्राम-विकास-शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी/राष्ट्रीय सम्मेलन ।	38
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन ।	42
शैक्षणिक प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण ।	43

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

— अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ सहयोग 45
— ग्राम-विकास-शिक्षा पर उच्चस्तरीय कार्यगोष्ठी 48
— यूनेस्को का तीसवाँ जयंती समारोह 50
पुस्तकालय एवं प्रलेखन सेवाएं 51
प्रकाशन 52
अभिस्वीकृतियाँ 54

परिशिष्ट

I. परिषद् के सदस्य 57
II. कार्यसमिति के सदस्य 59
III. 1976-77 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 60
IV. 1976-77 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निरीक्षण पर राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के उत्तर 71
V. संकाय के सदस्य 72
VI. स्टाफ में परिवर्तन 73
VII. ग्राम विकास शिक्षा पर उच्चस्तरीय कार्यगोष्ठी : राष्ट्रीय स्तर पर संभावित अनुवर्ती कार्यवाही । 74
VIII. प्रकाशनों की अद्यतन सूची । 76

प्रस्तावना

शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज की स्थापना मुख्यतया शैक्षणिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने, संगोष्ठियां और सम्मेलन करने, अनुसंधान करने, राज्य सरकारों को शैक्षणिक परामर्श देने, माँगे जाने पर अन्य देशों, विशेषकर एशियाई देशों की प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने और इस क्षेत्र में अपेक्षित सूचनाओं के निकासी केन्द्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी।

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज संस्था पंजीकरण अधिनियम (अधिनियम सं॰ 21, 1860) के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था है। इसका पंजीकरण 31-12-1970 को हुआ था।

प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त महाविद्यालय में 1976-77 के दौरान हुए मुख्य-मुख्य क्रियाकलापों और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है।

नए आयाम

समीक्षाधीन अवधि में स्टाफ कालिज ने पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों को जारी रखने के अलावा विश्वविद्यालयी व उच्चस्तरीय शिक्षा तथा ग्राम विकास शिक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके नए कार्यों का भी सूत्रपात किया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(क) महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षण-संस्थाओं के विकास कार्यक्रमों में परिवर्तन लाने में प्रधानाचार्य की भूमिका को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सके और उसकी ज्यादा सराहना की जा सके, इस उद्देश्य को सामने रखते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कालिजों के प्रधानाचार्यों के लिए तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्त अधिकारियों के लिए दो कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि वे विश्वविद्यालयों की भूमिका को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें और बहतर वित्तीय-प्रबन्ध की आवश्यकता पूरी कर सकें। इसमें वित्तीय प्रशासन-तंत्र, बजट-संबन्धी सुधार, आयस्रोत, विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला सहायता-अनुदान और नकदी प्रवाह विश्लेषण (केश फ्लो एनेलेसिस) के अनुप्रयोग से संबन्धित व्यावहारिक अभ्यास जैसे मुद्दे भी शामिल थे।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रधान कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

उक्त योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, जिसमें प्रबन्ध, पर्यवेक्षण, विभिन्न स्तर पर कार्य करने वालों की भूमिका और विवरण तथा अभिलेख तैयार करना भी शामिल है राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रधान कार्मिकों (विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम समन्वयकों और क्षेत्रीय तथा राज्य सम्पर्क अधिकारियों) के लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(घ) ग्राम विकास-शिक्षा

स्टाफ कालिज द्वारा ग्राम विकास-शिक्षा से संबन्धित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी और एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विद्यालय ने प्रस्तुत विषय पर एक उच्चस्तरीय कार्यगोष्ठी आयोजित करने में एशिया में यूनेस्को के बैंकाक-स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय के साथ भी सहयोग किया और इस कार्यगोष्ठी में इस क्षेत्र के छह देशों (अफ़गानिस्तान, बंगला देश, इण्डोनेशिया, नेपाल, फ़िलिपीन और भारत) ने भाग लिया।

प्रस्तुत रिपोर्ट दो भागों में विभक्त है। भाग I में प्रशासन, निधि और वित्त सम्बन्धी स्थिति बताई गई है और भाग II में उक्त कालिज के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों का संक्षिप्त सार दिया गया है। विचाराधीन वर्ष में संपन्न मुख्य क्रियाकलापों की सूची नीचे दी गई है —

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	सहभागियों की संख्या
— भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए वित्त-प्रबन्ध संबन्धी दो प्रशिक्षण-कार्यक्रम	(1) मई 31 से 11 जून, 1976 तक	24
	(2) जुलाई 5 से 15 जुलाई, 1976 तक	33
— सांख्यिकी अधिकारियों के लिए सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	जून 21 से 26 जून, 1976 तक	26
— जम्मू-कश्मीर में महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	अगस्त 2 से 13 अगस्त, 1976 तक	10
— हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन संबन्धी अभिविन्यास कार्यक्रम।	अक्तूबर 25 से 3 नबम्बर, 1976 तक	25

	अवधि	सहभागियों की संख्या
— राजस्थान के शिक्षा-अधिकारियों के लिए शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन संबन्धी अभिविन्यास कार्यक्रम ।	नवम्बर 8 से 20 नवम्बर, 1976 तक	24
— लक्षद्वीप के माध्यमिक और सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन सबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	नवम्बर 27 से 2 दिसम्बर, 1976 तक	12
— हरियाणा के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम ।	जनवरी 27 से 5 फरवरी, 1977 तक	18
— मेघालय, नागालैंड और मिजोरम की नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ।	फरवरी 9 से 12 फरवरी, 1977 तक	22
— राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रधान कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ।	फरवरी 14 से 17 फरवरी, 1977 तक	39
2. संगोष्ठियाँ		
— उत्तर-पूर्व अंचल के शिक्षासचिवों/लोक शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी ।	अगस्त 27 से 28 अगस्त, 1976 तक	10
— ग्राम विकास शिक्षा से संबन्धित राष्ट्रीय संगोष्ठी/राष्ट्रीय सम्मेलन ।	(1) दिसम्बर 15 से 20 दिसम्बर, 1976 तक (2) दिसम्बर 21 से 23 दिसम्बर, 1976 तक	100
3. अनुसंधान		
— शैक्षणिक प्रशासन का अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण ।		
— 10 रिपोर्ट प्रकाशित कीं ।		

	अवधि	सहभागियों की संख्या
4. अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सहयोग		
— ग्राम विकास शिक्षा पर उच्चस्तरीय कार्यगोष्ठी ।	मार्च 17 से 26 मार्च, 1977 तक	31

5. प्रकाशन

24 प्रकाशन निकाले ।

6. व्यय

— रु॰ 15.14 लाख (रु॰ 12.08 योजना व्यय + रु॰ 2.86 लाख योजनेतर व्यय + रु॰ 0.20 लाख जो यूनेस्को द्वारा नियत कार्यक्रमों पर खर्च किए गए ।)

I

प्रशासन, निधि और वित्त

प्रशासन, निधियाँ और वित्त

प्रस्तावना

भारत में शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन में सुधार लाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज की स्थापना की गई। इस संस्था का पंजीकरण संस्था पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21वाँ अधिनियम) के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में 31 दिसम्बर, 1970 को हुआ।

लक्ष्य और उद्देश्य

स्टाफ कालिज के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्य-गोष्ठियाँ, सभाएँ, संगोष्ठियाँ और अल्पावधिक शिक्षण सत्र आयोजित करना ;

(ख) शैक्षणिक नियोजन एवं प्रबंध से संबंधित प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित करना;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(घ) शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन के विविध पक्षों पर, जिनमें भारत के विभिन्न राज्यों और संसार के अन्य देशों में प्रचलित शैक्षणिक नियोजन प्रविधियों और प्रशासनिक कार्य-प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल है, अनुसंधान कार्य करना, इस कार्य में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं की सहायता करना, इसे बढ़ावा देना और इसका समन्वय करना;

(ङ) शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन कार्य में लगी ऐजेन्सियों, संस्थाओं और कार्मिकों का शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन करना;

(च) राज्य सरकारों और अन्य शिक्षा संस्थाओं की मांग पर उन्हें परामर्श सेवा प्रदान करना;

(छ) शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन सेवाओं और अन्य कार्यक्रमों के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी विचारों और सूचनाओं के निकासी केन्द्र का काम करना;

(ज) इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न लेख, आवधिक पत्रिकाएँ और पुस्तकें तैयार करना और उन्हें मुद्रित एवं प्रकाशित कराना; और विशेष रुप से शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन पत्रिका निकालना;

(झ) देश-विदेश के विश्वविद्यालयों, प्रबंध एवं प्रशासन संस्थाओं और अन्य संबद्ध संस्थाओं सहित अन्य ऐजेन्सियों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ इस प्रकार सहयोग करना जोकि इन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी समझे जाएँ;

(ञ) स्टाफ कालिज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर विभिन्न अध्येतावृत्तियां प्रदान करना; और

(ट) अन्य देशों विशेषकर एशियाई देशों की मांग पर उन्हें शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएँ प्रदान करना और ऐसे कार्यक्रमो में उनके साथ सहयोग करना।

परिषद्

स्टाफ कालिज संबंधी समस्त प्राधिकार एक 23 सदस्यीय परिषद् में निहित हैं। इस परिषद् का अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है। कालिज का निदेशक परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होता है। परिषद् के सदस्यों की सूची (31-3-77 की) परिशिष्ट-1 में दी गई है।

परिषद् की एक बैठक समीक्षाधीन अवधि में स्टाफ कालिज द्वारा शुरु किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और अन्य प्रशासनिक विषयों पर विचार करने के लिए 26 जुलाई, 1976 को बुलाई गई।

कार्यसमिति

एक 8 सदस्यीय कार्यसमिति, जिसका अध्यक्ष भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही होता है, स्टाफ कालिज का प्रशासन चलाती है। कालिज का निदेशक इस समिति का पदेन सदस्य-सचिव होता है। कार्यसमिति के सदस्यों की सूची (31-3-77 की) परिशिष्ट-2 में दी गई है।

निधियां और वित्त

स्टाफ कालिज का पूरा व्यय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वहन करता है। समीक्षाधीन अवधि में कालिज को 14.53 लाख रूपए का अनुदान दिया गया था जिसमें से 12.00 लाख रूपए की राशि योजना-व्यय और 2.53 लाख रुपए की राशि योजनेतर व्यय के लिए थी। इस अवधि में कालिज द्वारा कुल 15.14 लाख रुपए खर्च किए गए जिनमें से 12.08 लाख रुपए योजना-कार्यों पर, 2.86 लाख रुपए योजनेतर कार्यों पर और शेष 0.20 लाख रुपए यूनेस्को द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों पर खर्च हुए।

1976-77 वर्ष के आय-व्यय की लेखा-परीक्षा 19-12-77 से 5-1-78 तक की गई। इस लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट तथा उनके उत्तर परिशिष्ट 3 और 4 में क्रमशः दिए गए हैं।

छात्रावास

स्टाफ़ कालिज का अपना ही छात्रावास है। इसमें 48 पूरी तरह सज्जित एकल कमरे हैं जिनमें हर कमरे के साथ एक स्नानगृह भी संलग्न है। स्टाफ कालिज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतया आवासीय होते हैं।

महाविद्यालय कर्मचारी वर्ग

31 मार्च 1977 को संकाय के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-5 में और इस अवधि में इसके सदस्यों में हुए परिवर्तनों की सूची परिशिष्ट-6 में दी गई है।

II

कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की समीक्षा

भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए वित्त-प्रबन्ध-संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

(नई दिल्ली : 31 मई से 11 जून, 1976 और 5 जुलाई से 11 जुलाई, 1976 तक)

विश्वविद्यालयों के वित्त-प्रशासकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही है। इसीलिए पूर्वचर्चित राष्ट्रीय महाविद्यालय (नेशनल स्टाफ कालिज) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-अध्ययन संकाय के सहयोग से विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में दो अल्पावधिक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए।

विश्वविद्यालयों ने इस कार्यक्रम में आशातीत रुचि ली और फलतः 31 मई से 11 जून, 1976 तक आयोजित प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम में 24 विश्वविद्यालयों के ही वित्त अधिकारियों को शामिल किया गया। 23 वित्त-अधिकारियों के दूसरे दल के लिए 5 जुलाई से 15 जुलाई, 1976 तक एक और कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे :

(i) कार्यक्रम के सहभागियों को इस योग्य बनाना कि वे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के योगदान को भलीभांति समझ सकें;

(ii) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रचलित वित्तीय प्रशासन की प्रचलित पद्धति को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें और साथ ही, विशेषकर भारत में उच्च शिक्षा के परिवर्तनशील आयामों के संदर्भ में, वित्त प्रशासन की व्यवस्थित समीक्षा को सुगम बनाना;

(iii) भारतीय विश्वविद्यालयों में वित्त-अधिकारियों की अपेक्षाकृत नई भूमिका और नए दायित्वों का पता लगाने और उन्हें समझने में मदद करना तथा शैक्षिक कार्यक्रमों पर वित्तीय प्रशासन के प्रभावों का मूल्यांकन करना; और

(iv) आधुनिक प्रबन्ध, विशेषकर आधुनिक वित्तीय प्रबन्ध की प्रविधियों के प्रति और खासतौर से शैक्षणिक प्रशासन में इन प्रविधियों के अनुप्रयोग के प्रति इन अधिकारियों में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देना।

सहभागी

पूर्वोक्त दो कार्यक्रमों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के 47 वित्त अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य विचारणीय विषय

इस कार्यक्रम में मुख्यतया निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया—

—वित्त अधिकारियों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व।
—भारत में उच्च शिक्षा।
—उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नियोजन।
—भारतीय विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रशासन की पद्धति।
—वित्त अधिकारियों की भूमिका और उनके कार्य।
—प्रबंध मंडल में सहायक के रूप में उनकी भूमिका।
—आय नियोजन और अनुश्रवण।
—उच्च शिक्षा योजना के वित्तीय पक्ष।
—वित्त-प्रबंध—संकल्पनाएं और तकनीक।
—नकदी प्रवाह विश्लेषण।
—विश्वविद्यालयों को प्राधिकार सौंपना।
—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा की वित्त-व्यवस्था।
—आदर्श बजट।
—विश्वविद्यालयों को राज्य सरकारों द्वारा सहायता अनुदान।

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

सहभागियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और प्रबंध अध्ययन संकाय के परामर्श से इन पाठ्यक्रमों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। सामान्य व्याख्यानों में विचार-विमर्श करने के अलावा निम्नलिखित विषयों पर दो नामिकाओं में भी चर्चा की गई।

(i) वित्त अधिकारियों की भूमिका और उनके कार्य, तथा

(ii) वित्तीय प्रशासन की समस्याएं।

व्यावहारिक अभ्यास

नकदी प्रवाह विश्लेषण को लागू करने से संबंधित व्यावहारिक अभ्यास को भी पाठ्यचर्या में शामिल किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित

आदर्श बजट प्रपत्र पर अनेक सत्रों में बारीकी से विचार किया गया ताकि सहभागी वित्त-अधिकारियों को इसे भरने में कोई कठिनाई न हो। इसके अलावा एक पूरे सत्र में विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के सचिव से ही विचार-विमर्श किया गया ताकि विभिन्न समस्याएं सुलझाई जा सकें। सहभागियों से अपने-अपने विश्वविद्यालयों की 'वित्त-प्रशासन पद्धति' से संबंधित स्थिति पर एक लेख प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया। इन लेखों के प्रस्तुतीकरण के बाद उन पर विचार-विमर्श किया गया और उनमें दिए गए विषयों को स्पष्ट किया गया।

क्षेत्र में जाना

सहभागी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यों और क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष अध्ययन करने के लिए इन दोनों संस्थाओं में गए।

उद्घाटन एवं समापन समारोह

पहले कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव डा० अजीत मजूमदार ने 31 मई, 1976 को किया और समापन भाषण केंद्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय में सचिव श्री के० एन० चालना ने 11 जून, 1976 को पढ़ा।

दूसरे कार्यक्रम का उद्घाटन विश्यविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो० सतीश चंद्र ने 5 जुलाई, 1976 को किया और समापन भाषण 15 जुलाई, 1976 को केंद्रीय योजना मंत्री डा० शंकर घोष द्वारा पढ़ा गया।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा-निदेशालयों के प्रभारी सांख्यिकी अधिकारियों के लिए केंद्रीय सेवा-कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(नई दिल्ली : 21 जून से 26 जून, 76 तक)

केंद्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय (सांख्यिकी एवं सूचना प्रभाग) के अनुरोध पर और उन्हीं के सहयोग से स्टाफ कालिज ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा निदेशालयों के प्रभारी सांख्यिकी अधिकारियों के लिए 21 जून से 26 जून, 76 तक नई दिल्ली में शैक्षणिक सांख्यिकी-संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे —

(i) सहभागियों को इस योग्य बनाना कि वे शैक्षणिक नियोजन में अद्यतन सांख्यिकीय सामग्री और आंकड़ों के महत्व को अच्छी तरह समझ सकें।

(ii) सहभागियों को राज्यों से प्राप्त वार्षिक शैक्षणिक आंकड़ों के संग्रह से संबंधित संशोधित प्रपत्रों की विभिन्न विशिष्टताओं के साथ ही संशोधन की पृष्ठभूमि और संभावना से भी परिचित कराना।

सहभागी

इस कार्यक्रम में 18 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 26 कार्मिकों ने भाग लिया।

मुख्य विचारणीय विषय—

इस कार्यक्रम में मुख्यतया निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

—शैक्षणिक नियोजन में सांख्यिकी की भूमिका;
—प्रक्षेपण की नई प्रणालियाँ और नई प्रविधियाँ;
—शिक्षा के क्षेत्र में आंकड़ों के संग्रह और सांख्यिकीय कार्य के संगठन की समस्याएं;
—शैक्षणिक आंकड़ों के संग्रह की संशोधित पद्धति और उनके विविध रूप;
—शिक्षा संबंधी आकड़ों के संग्रह और समेलन में राज्य सरकारों की समस्याएँ।

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

यह पाठ्यक्रम, सहभागियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय के सांख्यिकी एवं सूचना प्रभाग के सहयोग से बड़ी सावधानी से तैयार किया गया। शिक्षा संबंधी आकड़ों के संग्रह एवं संकलन में राज्य सरकारों की समस्याओं पर 13 व्याख्यान-गोष्ठियों और एक नामिका में विचार-विमर्श किया गया।

इसके अलावा निम्नलिखित विविध फार्मों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई—

ई एस-1—राज्यों में शिक्षा के आंकड़े—संख्यात्मक आंकड़े।
ई एस-2—राज्यों में शिक्षा के आंकड़े—वित्तीय आंकड़े।
ई एस-3—राज्यों में शिक्षा के आंकड़े—परीक्षा परिणाम।
ई एस-4—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षा संबन्धी आंकड़े।

उद्घाटन एवं समापन समारोह

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के निदेशक प्रो० एम० वी० माथुर ने 21 जून, 1976 को इस कार्यक्रम का समारंभ किया और शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री पी० के० उमाशंकर ने 26 जून, 1976 को इसका समापन किया।

जम्मू-कश्मीर के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(नई दिल्ली : 2 अगस्त से 13 अगस्त, 1976 तक)

जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के अनुरोध पर और उसी के सहयोग से स्टाफ कालिज ने राज्य के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए नई दिल्ली में 2 से 13 अगस्त, 1976 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(क) सहभागियों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रवृत्तियों और उसकी मुख्य समस्याओं से अवगत कराना;

(ख) उन्हें राज्य के सेवा-नियमों और वित्तीय नियमों की बहतर जानकारी देना;

(ग) शिक्षा-संस्थाओं के विकास-कार्यक्रमों में, जिनमें संस्थागत नियोजन, संकाय विकास, छात्र कल्याण आदि शामिल हैं, अपेक्षित परिवर्तन लाने में उनकी जो भूमिका है उसकी उन्हें जानकारी कराना; और

(घ) सामान्यतया आधुनिक प्रबंध तकनीकों और विशेषतया शैक्षणिक प्रशासन के क्षेत्र में उनके इस्तेमाल के प्रति उन्हें अधिक जागरूक बनाना ।

सहभागी

इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया ।

मुख्य विचारणीय विषय

कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यत: निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया —

—भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वातंत्र्योत्तर विकास ।
—उच्च शिक्षा संबंधी मुख्य समस्याएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका ।
—उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व प्रवृत्तियाँ ।

—संस्थापरक नियोजन ।
—आधुनिक प्रबंध-तकनीक और शैक्षणिक प्रशासन में उन्हें लागू करना ।
—उच्च शिक्षा की वित्त-व्यवस्था और उसके लिए सामुदायिक साधन जुटाना ।
—बजट बनाने के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण-निष्पादन बजट बनाना और पी पी बी एस ।
—शैक्षणिक नियोजन में लागत-लाभ का विश्लेषण ।
—अनौपचारिक शिक्षा (पत्राचार पाठ्यक्रम) ।
—महाविद्यालयी शिक्षा और पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना पर 10+2+3 शिक्षा प्रतिमान का प्रभाव ।
—सेवा-नियम, मूलभूत नियम और आनुशासनिक नियम ।
—वित्तीय-नियम ।
—महाविद्यालय विकास कार्यक्रम-संकाय विकास ।
—अध्यापक मूल्यांकन ।
—परीक्षा सुधार ।
—प्रशासन में छात्रों का भाग लेना ।
—छात्र कल्याण के कार्यक्रम क्रियान्वित करना (पुस्तक बैंक, शिक्षा ग्रहण करते हुए धनोपार्जन आदि-आदि)।
—स्त्रियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने में प्रधानाचार्यों की भूमिका ।

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

यह पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा विभाग के परामर्श से सावधानीपूर्वक तैयार किया गया । इसे सहभागियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को, जिनका पता 16 से 26 फरवरी, 1976 तक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम द्वारा और साथ ही इस प्रयोजन से जारी की गई एक प्रश्नावली के माध्यम से चला, पूरा करने के लिए आयोजित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना अंतः विद्याशाखाई आधार पर तैयार की गई । पाठ्यक्रम की शिक्षण-प्रणाली अधिकतर व्याख्यानमूलक विचार-विमर्शों पर आधारित थी । इसके अलावा निम्नलिखित 4 विषयों पर चार नामिकाओं में भी विचार किया गया (i) 10+2+3 शिक्षा-प्रतिमान का महाविद्यालयी शिक्षा और पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना पर प्रभाव, (ii) छात्र कल्याण के कार्यक्रमों (पुस्तक-बैंक, शिक्षार्जन करते हुए धनोपार्जन, रा० से० यो० आदि) का क्रियान्वयन, (iii) स्त्रियों की और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रधानाचार्यों की भूमिका, और (iv) परीक्षा-सुधार ।

क्षेत्र में जाना

सहभागी निम्नलिखित संस्थाओं के कार्य और क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में व्यक्तिगत रूप से गए ।

(i) लेडी श्रीराम कालिज, नई दिल्ली ।

(ii) हिन्दू कालिज, दिल्ली ।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।

सहभागियों की संगोष्ठी

इस कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता यह थी कि 'सहभागी संगोष्ठी' के रूप में 4 नामिकाओं में कालिज स्तर की शिक्षा की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। सहभागियों से कालिज-प्रशासन की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं से संबन्धित कार्य योजनाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इन योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के बाद उन पर विचार-विमर्श हुआ और तत्संवन्धी अपेक्षित स्पष्टीकरण दिए गए।

उद्घाटन एवं समापन संमारोह

कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के राज्य शिक्षा मंत्री सरदार रंगीलसिंह ने 3 अगस्त, 1976 को और समापन केन्द्रीय उपशिक्षा मंत्री प्रो० डी० पी० यादव ने 13 अगस्त, 1976 को किया।

हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन संबंधी अभिविन्यास पाठ्यक्रम

(नई दिल्ली : 25 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 1976 तक)

हरियाणा राज्य सरकार के अनुरोध पर और उसी के सहयोग से स्टाफ कालिज ने हरियाणा शिक्षा अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में 25 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 1976 तक शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन संबन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(क) सहभागियों को विशेषकर हरियाणा प्रान्त के संदर्भ में शैक्षणिक नियोजन और शिक्षा-प्रशासन के आधुनिकीकरण से संबद्ध कुछ मूलभूत संकल्पनाओं से अवगत कराना;

(ख) उन्हें राज्य की शिक्षा-सम्बन्धी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के नए कार्यक्रमों, जैसे 10+2+3 शिक्षा-प्रतिमान और अनौपचारिक शिक्षा से अवगत कराना; और

(ग) उन्हें हरियाणा राज्य के सेवा संबन्धी नियमों और वित्तीय नियमों की जानकारी कराना।

सहभागी

इस पाठ्यक्रम में राज्य शिक्षा निदेशालय के जिला शिक्षा अधिकारियों और उपमंडल शिक्षा-अधिकारियों सहित 25 अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य विचारणीय विषय

अभिविन्यास पाठ्यक्रम हरियाणा के शिक्षा निदेशालय के साथ राज्य शिक्षा अधिकारियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया गया। पाठ्यक्रम इस दृष्टि से एक प्रगति-उन्मुख एवं भविष्योन्मुख कार्यक्रम कहा जा सकता है कि इसमें अन्य बातों के अलावा सहभागियों को पांचवीं योजना की

अवधि के लिए परियोजित प्रमुख शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए तैयार करने का प्रयत्न किया गया। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का समावेश था :

—शैक्षणिक नियोजन की सामान्य संकल्पनाएं ;
—हरियाणा में शैक्षणिक नियोजन और वहां की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल शिक्षा सम्बन्धी विकास-कार्यक्रमों की समीक्षा;
—भारत और विश्व के अन्य देशों में हाल ही में हुई शैक्षिक प्रगति;
—योजना का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन;
—जिला स्तर पर शिक्षा-प्रशासन;
—अपव्यय एवं प्रगतिरोध;
—अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण—जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका;
—बीस सूत्री कार्यक्रम और हरियाणा में लड़कियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा;
—शैक्षणिक नियोजन के लिए आंकड़ों का संग्रह;
—स्कूलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण;
—10+2+3 शिक्षा प्रतिमान एवं माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण;
—हरियाणा के सेवा एवं वित्त-नियम;
—अनौपचारिक शिक्षा;
—जिला नियोजन;
—संस्थागत नियोजन;
—जनसंख्या शिक्षा;
—स्कूलों में शारीरिक शिक्षा; और
—हरियाणा में शिक्षा का वित्तीय प्रशासन।

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

अभिविन्यास कार्यक्रम की योजना अंत:विद्याशाखाई आधार पर की गई। इसमें संसाधक व्यक्तियों में स्टाफ कालिज के संकाय-सदस्यों के अलावा राज्य की शिक्षा-समस्याओं की गहरी जानकारी रखने वाले हरियाणा सरकार के अधिकारी और साथ ही शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, रा० शै० अ० प्र० प० आदि के स्थानीय अधिकारी भी शामिल हुए। सासान्य व्याख्यानमूलक चर्चाओं के अलावा निम्नांकित विषयों पर 4 नामिकाओं में भी विचार किया गया—

(i) जिला स्तर पर शिक्षा प्रशासन;

(ii) स्कूलों का निरीक्षण और अधीक्षण;

(iii) 10+2+3 शिक्षा प्रतिमान एवं माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण; और

(iv) अनौपचारिक शिक्षा।

इसके अतिरिक्त, सहभागी इन दो संस्थाओं के कार्य एवं क्रियाकलापों का स्वयं अध्ययन करने के लिए निम्न स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से गए :

(i) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्;

(ii) विद्यालय दूरदर्शन केन्द्र।

उद्घाटन एवं समापन समारोह

कार्यक्रम का उद्घाटन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य डा० स्वरूप सिंह ने 25 अक्तूबर, 1976 को और समापन हरियाणा के शिक्षामंत्री चौ० माडू सिंह मलिक ने 3 नवम्बर, 1976 को किया।

राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन संबंधी अभिविन्यास पाठ्यक्रम

(नई दिल्ली : 8 नवंबर से 20 नवंबर, 1976 तक)

राजस्थान सरकार के अनुरोध पर और उन्हीं के सहयोग से स्टाफ कालिज ने राजस्थान राज्य के जिला एवं अन्य वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में 8 नवंबर से 20 नवंबर, 76 तक शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(क) सहभागियों को विशेषकर राजस्थान राज्य के संदर्भ में शैक्षणिक नियोजन और शिक्षा-प्रशासन के आधुनिकीकरण से संबद्ध कुछ मूलभूत संकल्पनाओं से अवगत कराना;

(ख) उन्हें राज्य की शिक्षा संबंधी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के नए कार्यक्रमों, जैसे 10+2+3 शिक्षा प्रतिमान और अनौपचारिक शिक्षा से अवगत कराना; और

(ग) उन्हें राजस्थान राज्य के सेवा-नियमों और वित्त-नियमों की जानकारी देना।

सहभागी

इस पाठ्यक्रम में राज्य शिक्षा निदेशालय के जिला शिक्षा अधिकारियों और उप मंडल शिक्षा अधिकारियों सहित 24 अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य विचारणीय विषय

— शैक्षणिक नियोजन की सामान्य संकल्पनाएँ;
— राजस्थान में शैक्षणिक नियोजन और वहां की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल शिक्षा संबंधी विकास कार्यक्रमों की समीक्षा;
— भारत और विश्व के अन्य देशों में हाल ही में हुई शैक्षिक प्रगति;

—योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन;
—जिला स्तर पर शिक्षा-प्रशासन;
—अपव्यय एवं प्रगतिरोध;
—अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण-जिला शिक्षा-अधिकारियों की भूमिका;
—बीस सूत्री कार्यक्रम और राजस्थान में लड़कियों की और समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा;
—शैक्षणिक नियोजन के लिए आंकड़ों का संग्रह;
—स्कूलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण ;
—10+2+3 शिक्षा प्रतिमान एवं माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण;
—राजस्थान के सेवा एवं वित्त-नियम;
—अनौपचारिक शिक्षा;
—जिला नियोजन;
—संस्थागत नियोजन;
—जनसंख्या शिक्षा;
—स्कूलों में शारीरिक शिक्षा; और
—राजस्थान में शिक्षा का वित्तीय प्रशासन।

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

पाठ्यक्रम की योजना राज्य के शिक्षा अधिकारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान शिक्षा निदेशालय की सलाह से बनाई गई थी। साथ ही पाठ्यक्रम को प्रगति-उन्मुख एवं भविष्योन्मुख भी बनाया गया था जिससे कि सहभागी राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकें।

पाठ्यक्रम में मुख्य बल तो शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन की मूलभूत संकल्पनाओं पर दिया गया किन्तु साथ ही, जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्य के रोटी-रोजी वाले पहलुओं और कुछ अन्य पहलुओं, जैसे वित्त एवं सेवा संबंधी नियमों पर भी विचार किया गया। सामान्य व्याख्यान-मूलक चर्चाओं के अलावा निम्नलिखित विषयों पर नामिकाओं में भी चर्चा की गई :

(1) जिला स्तर पर शिक्षा-प्रशासन;

(2) विद्यालयों का निरीक्षण और अधीक्षण;

(3) अनौपचारिक शिक्षा;

(4) परीक्षा-सुधार;

(5) 10+2+3 और माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण; और

(6) अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका ।

इसके अलावा जिला शैक्षणिक नियोजन और संस्थागत नियोजन पर दो अल्पावधिक व्यावहारिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् और स्कूल दूरदर्शन केंद्र का क्षेत्र-वीक्षण भी किया गया ।

यह कार्यक्रम वस्तुत: समकक्ष अधिकारियों की एक संगोष्ठी थी । सहभागियों को पाठ्यक्रम में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दो-दो सहभागियों के दल ने पूर्वोक्त विषय के संवक्ता के रूप में कार्य किया ।

उद्घाटन और समापन

इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रतिष्ठित आचार्य डा० डी० एस० कोठारी ने 8 नवंबर, 1976 को किया ।

समापन समारोह राजस्थान के शिक्षा आयुक्त श्री जे० एस० मेहता की अध्यक्षता में 20 नवंबर, 1976 को अपराह्न में सम्पन्न हुआ । इस समारोह में डा० वी० एस० झा ने समापन भाषण दिया ।

संघ-राज्य लक्षद्वीप के माध्यमिक और बुनियादी स्कूलों के प्रधानों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

(कावराट्टी : 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1976 तक)

संघ-राज्य लक्षद्वीप के अनुरोध पर तथा उसी के सहयोग से स्टाफ कालिज की ओर से कावराट्टी में 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1976 तक माध्यमिक ओर सीनियर बुनियादी स्कूलों के प्रधानों के लिए शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(क) सहभागियों को शैक्षिक प्रशासन तथा योजना की मूल संकल्पनाओं और पद्धतियों से परिचित कराना,

(ख) सहभागियों को लक्षद्वीप के शिक्षा विभाग के वित्तीय और प्रशासनिक नियमों (सेवा नियमों) से परिचित कराना, और

(ग) संस्थागत योजनाओं को सूत्रबद्ध करने के कार्य में सहभागियों की सहायता करना।

सहभागी

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रदेश के छह माध्यमिक विद्यालयों तथा छह सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानों तथा एक वरिष्ठ सहायक प्रभारी ने भाग लिया।

मुख्य विषय-वस्तु

निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ—

—भारत में शैक्षणिक उद्देश्यों के विशेष संदर्भ में हाल ही में हुआ शिक्षा का विकास।
—लक्षद्वीप में शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समस्याएँ।
—शैक्षणिक विकास सम्बन्धी संकल्पनाएँ।

—विद्यालय प्रबन्ध में प्रधानाध्यापक की भूमिका ।
—विद्यालय और समुदाय ।
—शिक्षा का गुणात्मक विकास ।
—संस्थागत योजना ।
—परीक्षा सुधार ।
—शैक्षणिक तथा वित्तीय नियम ।
—कक्षा प्रयोग ।
—विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम निर्माण ।
—विज्ञान और गणित शिक्षण ।
—10+2+3 ढाँचा और व्यावसायीकरण ।
—शिक्षण का पर्यवेषण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन ।

पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु :

कार्यक्रम की रूपरेखा लक्षद्वीप के शिक्षा विभाग से परामर्श करके तैयार की गई थी ताकि सहभागियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नियमित व्याख्यानों तथा परिचर्चाओं के अतिरिक्त सहभागियों को क्षेत्र-वीक्षण के लिए कावरात्टी के उच्च विद्यालयों तथा बुनियादी विद्यालयों में ले जाया जाता था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी था कि संबद्ध विद्यालय में लागू की जाने वाली संस्थागत योजनाओं को वहीं सूत्रबद्ध किया जाए। व्यावहारिक सत्रों के दौरान तीन सहभागियों की एक टोली की एक विशेषज्ञ के साथ कर लिया जाता था जो संस्थागत योजनाओं को तैयार करने में उनका मार्गदर्शन करता था। बारह प्रधानाध्यापकों में से प्रत्येक ने संस्थागत योजनाएँ तैयार कीं जिसमें दो या तीन योजनाएँ शामिल थीं।

उद्घाटन और समापन

कार्यक्रम का उद्घाटन 27 नवंबर, 1976 को लक्षद्वीप के उपन्यायाधीश श्री के० के० शंकरनारायन ने किया तथा संसद सदस्य श्री पी० एम० सईद ने 2 दिसंबर, 1976 को समापन भाषण दिया।

हरियाणा के महाविद्यालय प्रधानाचार्यों के लिए शिक्षा योजना और प्रशासन संबंधी अभिविन्यास पाठ्यक्रम

(नई दिल्ली : 27 जनवरी से 5 फ़रवरी, 1977)

हरियाणा सरकार के राज्य शिक्षा विभाग के अनुरोध पर तथा उन्हीं के सहयोग से स्टाफ कालिज ने 27 जनवरी से 5 फरवरी, 1977 तक नई दिल्ली मे हरियाणा के महाविद्यालय प्रधानाचार्यों के लिए शिक्षा योजना और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(क) भारत तथा विदेशों में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित आधुनिक प्रवृत्तियों तथा मुख्य समस्याओं से सहभागियों को परिचित कराना,

(ख) संस्थागत विकास कार्यक्रमों के जिनमें संस्थागत योजना, संकाय विकास और विद्यार्थी कल्याण आदि शामिल हैं, परिवर्तनकारी अभिकर्ता के रूप में उनकी भूमिका की बेहतर जानकारी कराना, और

(ग) सामान्य तथा शैक्षणिक प्रशासन के क्षेत्र में आधुनिक प्रबंध तकनीकों के अनुप्रयोग की विशेष जानकारी की बढ़ावा देना।

सहभागी

राज्य के महाविद्यालयों के 16 प्रधानाचार्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

मुख्य विषयवस्तु

अभिविन्यास पाठ्यक्रम की रुपरेखा इस प्रकार तैयार की गई थी कि यह महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल थे :-

—भारत में स्वतंत्रता के बाद से उच्चतर शिक्षा का विकास।
—उच्चतर शिक्षा में विश्व प्रवृत्तियाँ।

—उच्चतर शिक्षा की समस्याएँ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका ।
—संस्थागत योजना-निर्माण ।
—महाविद्यालय विकास कार्यक्रम :—

(क) समाज निज्ञान और मानविकी

(ख) विज्ञान

(ग) विद्यार्थी कल्याण

(घ) पुस्तकालय

(च) खेल और खेलकूद

—कार्मिक प्रशासन, नेतृत्व और अभिप्रेरण ।
—अनौपचारिक शिक्षा ।
—कालेजी शिक्षा तथा पाठ्यक्रम पुनर्संरचना पर 10+2+3 शिक्षा पद्धति का पड़ने वाला प्रभाव ।
—उच्चतर शिक्षा में प्रबंधकीय प्रविधियों का अनुप्रयोग ।
—परीक्षा सुधार ।

पाठ्यक्रम विषयवस्तु

पाठ्यक्रम की रूपरेखा हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग से परामर्श करके महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। साथ ही साथ इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया था कि यह अग्रगामी और भविष्योन्मुख हों ताकि ऐसे सहभागी तैयार किए जा सकें जो 10+2+3 शिक्षा पद्धति तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को लागू कर सकें।

नियमित व्याख्यान और चर्चा के अतिरिक्त निम्नलिखित चार नामिकाओं में भी विचार-विमर्श हुआ :—

(1) हरियाणा में उच्चतर शिक्षा।

(2) विधार्थी कल्याण कार्यक्रमों का कार्यन्वयन।

(3) कालेजिएट शिक्षा तथा कार्यक्रम पुनर्रचना पर 10+2+3 शिक्षा पद्धति का प्रभाव।

(4) परीक्षा सुधार।

इसके अतिरिक्त सहभागी क्षेत्र-वीक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी गए जहां से उन्हें इसके कार्यों और क्रियाकलापों का नज़दीक से अध्ययन करने का अवसर मिला। समूह गतिकी (ग्रुप डायनोमिक्स) के क्षेत्र में भी थोड़ा-सा अभ्यास किया गया।

उद्घाटन और समापन भाषण

कार्यक्रम का उद्घाटन 27 जनवरी, 1977 को हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ के शिक्षामंत्री श्री चिरंजी लाल शर्मा ने किया और वी० एन० चक्रवर्ती विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के उप-कुलपति डा० एस० के० दत्त ने समापन भाषण दिया।

उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

(नई दिल्ली : 9 फरवरी से 12 फरवरी, 1977 तक)

उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के अनुरोध एवं सहयोग से स्टाफ कालिज ने नई दिल्ली में 9 से 12 फरवरी, 1977 तक इससे संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रस का आयोजन किया ।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में :

—सहभागियों को भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र की आधुनिक प्रवृत्तियों एवं मुख्य समस्याओं से परिचित कराना ।
—उन्हें परिवर्तनकारी अभिकर्ता के रूप में संस्थागत विकास कार्यक्रम में जिसमें संस्थागत योजना, संकाय विकास और विद्यार्थी कल्याण आदि शामिल हैं अपनी भूमिका के बारे में बहतर जानकारी देना ।
—राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के प्रबन्ध से सम्बद्ध एजेन्सियों के साथ सम्पर्क को बहतर बनाना ।
—आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों, विशेषकर शैक्षणिक प्रशासन में अनुप्रयोग की जाने वाली तकनीकों का सूत्रपात करना ।

सहभागी

इस कार्मक्रम में 22 प्रधानाचार्यों (मेघालय से 11, मिजोरम से 6 तथा नागालैंड से 5) ने भाग लिया ।

मुख्य विषयवस्तु

—भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात उच्चतर शिक्षा का विकास ।
—भारत में उच्चतर शिक्षा की मुख्य समस्याएं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका ।
—संस्थागत नियोजन ।
—उच्चतर शिक्षा पर 10+2+3 प्रणाली का प्रभाव ।
—अनौपचारिक शिक्षा ।

—महाविद्यालय स्तर पर वित्तीय प्रबंध ।
—आधुनिक प्रबंध-तकनीक ।
—कालिज विकास कार्यक्रम ।

पाठ्यक्रम विषयवस्तु

कार्यक्रम की रूपरेखा उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के परामर्श से इस प्रकार तैयार की गई थी कि वह सहभागियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नियमित व्याख्यान और चर्चाओं के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा पर 10+2+3 प्रणाली के प्रभाव के संबंध में एक नामिका में भी परिचर्चा हुई। इसके अतिरिक्त सहभागियों ने निम्नलिखित संस्थानों के कार्य और कार्यविधियों का स्वयं अध्ययन करने के विचार से क्षेत्र निरीक्षण भी किया ।

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय ।

(3) श्री राम कालिज ।

(4) सेन्ट स्टीफेन्स कालिज ।

उद्घाटन और समापन

कार्यक्रम का उद्घाटन 9 फरवरी, 1977 को यूनेस्को कार्यपालिका परिषद के भूतपूर्व शिक्षा सचिव एवं अध्यक्ष डा० प्रेम किरपाल ने किया। समापन भाषण राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के निदेशक प्रो० एम० वी माथुर ने 21 फरवरी, 1977 को किया।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम
(नई दिल्ली : 14 फरवरी से 17 फरवरी, 1977 तक)

स्टाफ कालिज ने केन्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर, दिल्ली समाज कार्य स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में 14-17 फरवरी, 1977 तक राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) के प्रधान कार्मिकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

उद्देश्य

अभिविन्यास कार्यक्रम की रूपरेखा दिल्ली समाज कार्य स्कूल एवं शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से इस प्रकार तैयार की गई थी कि वह राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत क्षेत्र-कार्य करने वाले अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध प्रधान कार्मिकों को विचारों के आदान-प्रदान के लिए निकट आने का सुअवसर प्रदान करना।

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना की संकल्पना, नीति और कार्यक्रमों की चर्चा करना।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के संगठन एवं प्रशासनिक पक्षों पर विचार करना जिसमें पर्यवेक्षण, सहयोग, समन्वय, परिवीक्षण और मूल्यांकन आदि शामिल ह।

सहभागी

कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के 39 प्रधान कार्मिकों ने भाग लिया।

मुख्य विषयवस्तु

चर्चा के मुख्य विषय थे :—

—भारत में युवक कार्यक्रमों का विकास।

—राष्ट्रीय विकास में युवकों का योगदान।
—रा० से० यो० के अन्तर्गत कार्यक्रमों का विकास।
—विवरण तैयार करने एवं अभिलेख रखने का कार्य।
—रा० से० यो० के विभिन्न कार्यकर्त्ताओं की भूमिका।
—रा० से० यो० का लेखा और लेखा-परीक्षा।

पाठ्यक्रम की विषय-वस्तुएं

कार्यक्रम की योजना बड़ी सावधानी से तैयार की गई थी ताकि वह सहभागियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नियमित व्याख्यान और चर्चाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों पर 3 पैनेल-परिचर्चाएं भी हुईं :—

(1) राष्ट्रीय विकास में युवकों का योगदान।

(2) रा० से० यो० के अन्तर्गत कार्यक्रमों का विकास।

(3) रा० से० यो० का लेखा और लेखा-परीक्षा।

उद्घाटन और समापन

कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रो० एस० नूरुल हसन करने वाले थे जो किसी अपरिहार्य कार्यवश नहीं आ सके अतः स्टाफ कालिज के निदेशक प्रो० एम० वी० माथुर ने उद्घाटन किया। तथापि 15-2-1977 को प्रो० एस० नूरुल हसन ने सहभागियों को संबोधित किया और उनके साथ कुछ समय तक रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष डा० बी० रामचन्द्र राव ने 17 फरवरी, 1977 को समापन भाषण दिया।

उत्तर-पूर्व प्रदेशों—जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैन्ड, सिक्किम और त्रिपुरा के शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी

(नई दिल्ली : 27 अगस्त से 28 अगस्त, 1976 तक)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज ने उत्तर-पूर्व राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा अधिकारियों के लिए शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन सम्बन्धी तीन महीने के एक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 1 जनवरी से 31 मार्च, 1976 तक किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की एक समान अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं सामने आई जिन पर विचार किया गया। तत्पश्चात ऐसा अनुभव किया गया कि इस क्षेत्र के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों की एक संगोष्ठी में इन समस्याओं को रखा जाना लाभप्रद रहेगा।

सहभागी

इस प्रकार राष्ट्रीय स्टाफ कालिज में 27 और 28 अगस्त, 1976 को दो दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों के अतिरिक्त, इन क्षेत्रों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्षों, विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, योजना आयोग, केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुडकी तथा उत्तर-पूर्व परिषद् के प्रतिनिधियों एवं इन क्षेत्रों की समाज आर्थिक परिस्थितियों से परिचित कतिपय वरिष्ठ प्रशासकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में 24 व्यक्तियों ने भाग लिया।

चर्चा के विषय

संगोष्ठी में चर्चा के लिए स्टाफ कालिज ने निम्नलिखित विषयों का सुझाव दिया—

(1) भवन-निर्माण की समस्या।

(2) आदिवासी शिक्षा की विशेष समस्या।

(3) 10+2+3 शिक्षा पद्धति का प्रवेश तथा उससे उत्पन्न समस्याएँ।

(4) अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी जगत ।

(5) शैक्षणिक नियोजन तथा योजना कार्यान्वयन में कार्मिक तथा प्रक्रियात्मक समस्याएँ ।

(6) प्रदेशों के उन क्षेत्रों की जानकारी जहां संयुक्त अथवा समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है ।

(7) राष्ट्रीय स्टाफ कालिज से अपेक्षित सहायता ।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के राज्यों तथा उत्तर-पूर्व परिषद् ने निम्नलिखित विषयों का सुझाव दिया—

(8) आदिवासी बोली (मणिपुर) का प्रश्न ।

(9) शिक्षकों का प्रशिक्षण (मणिपुर) ।

(10) मध्य स्तर के तकनीकी कार्मिकों, अभियांत्रिकी उपाधि-पत्र धारकों, परिचारिकाओं तथा पैरामेडिकल कार्मिकों आदि का प्रशिक्षण (उ० प्र० परिषद्) ।

(11) शैक्षिक कार्य करने वाली किसी सक्षम गैर-सरकारी संस्था के अभाव में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था कैसे की जाए (नागालैण्ड) ।

(12) नागालैण्ड, जहां अधिक संख्या में उद्योगों की स्थापना नहीं हो रही है, और जहां अभी कुटीर उद्योग भी नहीं पनप रहे हैं तथा जहां वाणिज्यिक संस्थानों और उद्योगों का अभाव है, वहां '+2 व्यवस्था' के व्यावसायिकीकरण की समस्या (नागालैण्ड) ।

इस संगोष्ठी में अन्य लोगों के अतिरिक्त तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रो० एस० नूरुल हसन तथा योजना आयोग के सचिव (शिक्षा) प्रो० एस० चक्रवर्ती ने भी भाषण दिया ।

ग्राम विकास के लिए शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय संगोष्ठी और राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रस्तावना

भारत का शिक्षा तंत्र भी इस क्षेत्र के अनेक अन्य देशों की तरह, कुल मिलाकर, विरासत में प्राप्त औपनिवेशिक शिक्षा तन्त्र का ही अनुवर्तन है। यह अत्यन्त संभ्रांत वर्गोन्मुखी तंत्र है जिससे हमारे शिक्षित ग्रामीण युवक भी शहरी गन्दी बस्तियों की तमाम बुराइयों के बावजूद शहरों और कस्बों में ही जाना अधिक पसन्द करते हैं। यूनेस्को अपने बैंकाक स्थित शैक्षणिक नवाचार एवं विकास के एसियाई केन्द्र (शै० न० वि० ए० कें०) के माध्यम से इस क्षेत्र के सदस्य-राज्यों का ध्यान, शिक्षा एवं ग्राम विकास* के बीच समीपी सम्बन्ध स्थापित करने की ओर लगातार आकर्षित करता रहा है। यद्यपि यह यूनेस्को की पहल थी तथापि यह हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता और विकास विषयक रचना-कौशल के साथ इतना अधिक मेल खाती थी कि भारत सरकार ने इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। इसके आयोजन का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय स्टाफ कालिज को सौंपा गया।

तैयारी बैठक

यह राष्ट्रीय संगोष्ठी / राष्ट्रीय सम्मेलन, जकार्ता (इन्डोनेसिया) में 24-28 अगस्त, 1976 तक होने वाली तैयारी बैठक के बाद सम्पन्न हुई। इस तैयारी बैठक में इस क्षेत्र के छह देशों (अफ़गानिस्तान, बंगला देश, भारत, इन्डोनेसिया, नेपाल और फिलीपीन्स) ने भाग लिया। यह तैयारी बैठक 17 मार्च से 26 मार्च, 1977 तक नई दिल्ली में होने वाली क्षेत्रीय उच्चतर कर्मशाला की तैयारी हेतु राष्ट्रीय कर्मशालाओं के लिए मार्गदर्शक रूपरेखा तय करने के लिए आयोजित हुई।

संचालन समिति

एक 20 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया जिसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि थे। इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के निदेशक प्रो० एम० वी० माथुर को बनाया गया जिन्हें राष्ट्रीय संगोष्ठी और राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए कार्य-योजना बनाना तथा सहभागियों का चयन करना था।

---

* देखें, ग्राम विकास के लिए शिक्षा पर उच्चस्तरीय कर्मशाला (पृष्ठ 48-49)।

राष्ट्रीय संगोष्ठी/राष्ट्रीय सम्मेलन

संचालन समिति ने अनुभव किया कि विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम समय प्रदान करने तथा सहभागियों को अपने दृष्टिकोणों का विनिमय करने का अवसर देने के ख्याल से कार्यक्रम का आयोंजन दो चरणों में किया जाना चाहिए। प्रथम चरण के अन्तर्गत 15 से 20 दिसम्बर, 1976 तक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र-कार्य का प्रचुर अनुभव रखने वाले तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ नीति निर्धारक अधिकारियों ने भाग लिया। दूसरे चरण के अन्तर्गत 21 से 23 दिसम्बर, 1976 तक एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कार्यक्रम को लागू करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के शिक्षा आयुक्तों के साथ-साथ राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्ति भी शामिल थे। राष्ट्रीय संगोष्ठी और सम्मेलन में तो कुल मिलाकर लगभग 100 व्यक्तियों ने भाग लिया। पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में केवल 30 व्यक्तियों और राष्ट्रीय सम्मेलन में 83 व्यक्तियों ने ही अलग-अलग रूप से भाग लिया। शेष 36 व्यक्तियों ने दोनों में ही हिस्सा लिया।

विचारार्थ विषय

ग्राम विकास के लिए शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी का सर्वोपरि उद्देश्य यह समझना और संबद्ध अधिकारियों से यह सिफ़ारिश करना था कि ग्राम विकास मे शिक्षा अपना अधिक प्रभावी योगदान, विशेष रूप से अन्त: अधिकरणों और अंतरा-अभिकरणों में विभिन्न स्तरों पर योजना के निरूपण और क्रियान्वयन के कार्य में उचित समन्वय स्थापित करते हुए कैसे कर सकता हैं। इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

1. यह पहचानना और सिफ़ारिश करना कि शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किस प्रकार किया जाए ताकि वह ग्राम विकास में अपना प्रभावी योगदान कर सके।

2. सहभागियों के बीच इस प्रकार की सूझ-बूझ उत्पन्न करना कि वे विकास-शील कार्यक्रमों को पारस्परिक सहयोग से सशक्त बनाएं और यह जान लें कि कुछ चुने हुए कार्यक्रमों के विश्लेषण के माध्यम से शिक्षा अपनी प्रमुख भूमिका किस तरह निभा सकती है। फिर इस प्रकार वे अन्त: अभिकरणों तथा अंतरा-अभिकरणों में विभिन्न स्तरों पर योजना के निरूपण और कार्यान्वयन के कार्य में उचित समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता को समझ सकें।

3. चुनी हुई परियोजनाओं में से विभिन्न अभिकरणों के बीच विद्यमान सम्बन्धों का विश्लेषण करके संबद्ध अभिकरणों के प्रभावशाली समन्वयन के मार्ग में आने वाली रुकावटों का पता लगाना तथा यह सिफारिश करना कि कार्यचालन के समस्त स्तरों पर इसे कैसे सुधारा जा सकता है और किस प्रकार अन्तः अभिकरणों (एवं अंतरा-अभिकरणों) में बेहतर समन्वय स्थापित करके कैसे उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

4. परिवर्तनकारी अभिकर्ताओं, विशेष रूप से सामुदायिक स्तर पर, की भूमिकाओं का अध्ययन करके यह सिफ़ारिश करना कि वे अन्य अभिकरणों से उचित समन्वय स्थापित करके अपने कार्यों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार पूरा कर सकते हैं।

5. सामुदायिक तथा क्षेत्रीय अभिकरणों की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने की सिफ़ारिश करके उन्हें अधिक से अधिक पहल करने की प्रोत्साहित करना और लचीलापन प्रदान करना।

6. एक ऐसी क्रियात्मक योजना को विकसित करना जिसका स्वीकृत नवाचारों के कार्यान्वयन में राष्ट्रव्यापी महत्व हो। इसमें उन कार्यों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिन्हें विभिन्न संबद्ध अभिकरण, विशेषकर सामुदायिक स्तर पर, पूरा करने के लिए तत्काल हाथ में ले रहे हों।

स्थानीय संगोष्ठियां

जकार्ता में निरूपित मार्ग-निर्देशों को ध्यान में रखकर स्थानीय संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए दो राज्य चुने गए। एक संगोष्ठी का आयोजन 8 दिसम्बर, 1976 को उड़ीसा के क्यूंझार गढ़ में किया गया। यह एक आदिवासी तथा अत्यधिक पिछड़ा हुआ ज़िला है। दूसरी संगोष्ठी का आयोजन 2-3 दिसम्बर, 1976 को अहमदाबाद (गुजरात) में किया गया। इन संगोष्ठियों का मूल उद्देश्य कार्यान्वयन के स्तर पर आने वाली समस्याओं का पता लगाकर उनका विवरण राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रस्तुत करना था।

राष्ट्रीय संगोष्ठी

राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ संगोष्ठी के निदेशक प्रो० एम० वी० माथुर के ग्राम विकास के लिए शिक्षा सम्बन्धी नीतिसूचक भाषण से हुआ। तत्पश्चात एक सुविख्यात विशेषज्ञ ने कुल विकास के संपूर्ण चित्र के प्रत्येक भाग का अलग-अलग बिम्ब प्रस्तुत किया। इसके पीछे विचार यह था कि सहभागियों को मोटे तौर पर भविष्य प्रभावी सम्भावनाएँ समझा दी जाएँ ताकि वे इसके अन्दर अपने विशेष क्षेत्र का चुनाव एवं जांच-पड़ताल कर लें।

विषय के भिन्न-भिन्न पहलुओं को देखने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी ने निम्नलिखित छह कार्यदल बनाए।

(1) ग्राम विकास के लिए विद्यालय शिक्षा।

(2) ग्राम विकास के लिए उच्चतर शिक्षा।

(3) युवकों और वयस्कों के लिए अनौपचारिक शिक्षा।

(4) ग्राम विकास के लिए जन-संपर्क साधन।

(5) ग्राम विकास के लिए शिक्षा में स्वयसेवी संगठनों की भूमिका।

(6) ग्राम विकास के लिए अंतःअभिकरणों एवं अंतरा-अभिकरणों में परस्पर समन्वय और सहयोग।

कार्यकारी दल ने संगोष्ठी के लिए तैयार किए गए पत्रों तथा पठन सामग्रियों का अध्ययन करके एवं आवश्यक चर्चा के उपरांत अपना विवरण तैयार किया।

राष्ट्रीय सम्मेलन

कार्यकारी दल के विवरण के आधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए कार्य-पत्र तैयार किया गया। सम्मेलन में संगोष्ठी की सिफ़ारिशों में कांठ-छांट करने पर ही ध्यान केंद्रित किया गया ताकि राष्ट्रीय नीति में उसके स्वीकरण और आत्मसात्करण की संभावनाएं बढ़ जाएँ।

राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रो० एस० नूरुल हसन ने किया तथा समापन भाषण योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री पी० एन० हक्सर न दिया।

राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा राष्ट्रीय सम्मेलन का विवरण तभी से 'ग्रामविकास शिक्षा'* शीर्षक से प्रकाशित हो रहा है।

---

*इस रिपोर्ट की कुछ सीमित प्रतियाँ स्टाफ कालिज से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन

प्रत्येक कार्यक्रम के मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण-क्षेत्र में किये जाने वाले दिन-प्रतिदिन के कार्यों से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त कार्यक्रम में क्या-क्या परिवर्तन होने चाहिए इस पर विचार करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित संचालन-समिति, जिसमें सचिवालय-कर्मचारियों के अलावा संबंधित संकाय के सदस्य और भाग लेने वाले सदस्यों के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं, प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी साथ ही साथ करती चलती है। किन्तु विषय की प्रकृति कुछ ऐसी हैं कि संचालन-समिति के सदस्य काफी विचार-विमर्श करने के बाद भी जो संभावित परिवर्तन सुझाते हैं, वे नगण्य ही होते हैं।

कार्योत्तर मूल्यांकन करने के लिए भाग लेने वाले सदस्यों को प्रशिक्षण-कार्यक्रम के प्रारम्भ में ही मूल्यांकन प्रपत्र दे दिये जाते हैं। किन्तु, वे इन प्रपत्रों से शैक्षिक कार्यक्रम संबंधी अपने पुंजीभूत अनुभवों की सूचना देते है और अंतिम सत्र से एक दिन पहले ये प्रपत्र समन्वयक को सौप दिये जाते हैं। मूल्यांकन विषयक बैठक से खुलकर चर्चा होने देने के लिए भाग लेने वालों के लिए प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित नहीं है। इन प्रपत्रों के आधार पर निदेशक को प्रस्तुत करने के लिए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस सबके बाद कार्यक्रम के अंतिय दिन मूल्यांकन सत्र की बैठक होती है जिसमें सभी भाग लेने वाले सदस्य शैक्षिक या संगठनात्मक किसी भी विषय पर अपने-अपने बिचार खुलकर व्यक्त कर सकते हैं।

स्टाफ कालिज का इस दिशा में यही प्रयत्न रहता हैं कि भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों का आयोजन कराके इस कार्यक्रम से भरपूर लाभ उठाया जाए। उदाहरणार्थ, भाग लेने वाले सदस्यों के सुझाव पर कुछ व्याख्यान-परिचर्चाओं के स्थान पर इस संबंध में क्षेत्र-वीक्षण और व्यावहारिक अभ्यास किए गए। भाग लेने वाले सदस्य यद्यपि दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों के लिए अनुरोध करते रहें हैं, किन्तु यह एक सुविदित तथ्य है कि राज्व सरकारें उन्हें बहुत ज्यादा समय तक छुट्टी नहीं दे सकतीं और इसीलिए स्टाफ़ कालिज इस सुझाव से ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया। किन्तु कालिज अब सीमित और विशिष्ट विषयों वाले अल्पावधिक कार्यक्रम आयोजित करने की बात सोच रहा है ताकि इन विषयों पर चर्चा करने के लिए यथेष्ट समय उपलब्ध हो सके और साथ ही भाग लेने वालों को अपने-अपने मुख्यालयों से ज्यादा समय के लिए अनुपस्थित भी न रहना पड़े। छात्रावास संबंधी कुछ भौतिक सुविधाओं में सुधार लाने पर भी सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

शैक्षणिक प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण

तृतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के एक अंग के रूप में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एक शैक्षणिक प्रशासन सम्बन्धी अखिल भारतीय सर्वेक्षण किए जाने का निर्णय किया गया। देश में यह इस प्रकार का पहला सर्वेक्षण कार्य था।

उद्देश्य

इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों—यथा राष्ट्रीय, राज्य तथा ज़िला स्तरों पर—शैक्षणिक प्रशासन के वर्तमान स्तर का पता लगाकर देश में शैक्षणिक प्रशासन को शक्तिशाली तथा आधुनिक बनाने की जानकारी प्रदान करना था। सर्वेक्षण में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रशासन संबन्धी सरकारी तंत्र की वर्तमान व्यवस्था और कार्यों की व्याख्या तथा नियोजन तथा कार्यान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए आँकड़ों के विश्लेषण का प्रयास किया गया।

पर्यवेक्षण कार्य के लिए यूनेस्को की शिक्षा की इस परिभाषा "इस प्रकार का सुव्यवस्थित और दीर्घकालिक शिक्षण जिसमें जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए मूल्यवान प्राकृतिक निपुणता और समझ प्रदान की जाए" को ध्यान में रखा गया था। सर्वेक्षण में पूर्व-प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय स्तर तक की सरकारी शैक्षणिक व्यवस्थाओं को तथा शिक्षण रीतियों के अंतर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक, पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक तथा सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सरकारी और गैर-सरकारी क्रियाकलापों को शामिल किया गया था।

प्रणाली के रूप में शैक्षणिक प्रशासन

सर्वेक्षण के अन्तर्गत यह मान कर चला गया कि शिक्षा प्रशासन एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से कुछ कार्य करने होते हैं और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। इस संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में सचिवालयों, निदशालयों, क्षेत्रीय अथवा मंडलीय (जहाँ पर जो भी होते हों) ज़िला तथा प्रखण्ड स्तर के संस्थानों के प्रशासनिक स्वरूप का संक्षिप्त अध्ययन किया गया। साथ ही साथ उनके नियोजन, संगठन, वित्तीयन, निदेशन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन जैसे कार्यों का भी संक्षेप में अध्ययन किया गया। प्रबंधकीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने, समीक्षा करने तथा परिष्करण और नवीकरण जैसे तत्वों का निश्चित अवधि तथा साधन के अंतर्गत जिस सीमा तक अध्ययन सभव था किया गया।

राज्य सरकारों के साथ निकट का सहयोग

इस सर्वेक्षण की एक विलक्षण बात यह है कि प्रारंभ से ही इसकी योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक तंत्रों के निकट सहयोग और सक्रिय सहकार से बनाई गई। मसौदे की प्रश्नावली को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचालित किया गया और उनके सुझावों को ध्यान में रखकर ही इसे अन्तिम रूप दिया गया। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र पर तैयार किए गये मसौदे की रिपोर्ट राज्य सरकारों तथा संबद्ध प्रशासनों को जांच के लिए भेजी गई और उनकी टिप्पणियों और सुझावों को ध्यान में रखकर उसे अंतिम रूप दिया गया।

1976-77 की अवधि में हुई प्रगति

शैक्षिक सर्वेक्षण से संबंधित कार्य की 1974 के आरंभ में शुरू किया गया। किन्तु विधिवत भरी हुई प्रश्नावली 1975 के प्रारम्भ में आनी शुरू हुई।

प्रश्नावलियों के विश्लेषण संबंधी कार्य, मसौदे का विवरण तैयार करने एवं उसे राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से जंचवाने का कार्य, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर मसौदों को अंतिम रूप देने तथा उनके प्रकाशन का कार्य साथ ही साथ होता चला गया। समीक्षाकाल इस प्रकार से था—

प्रकाशित रिपोर्टें	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रवेश, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, हरियाणा, लक्षद्वीप, मिजोरम, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार।
इन राज्य सरकारों को रिपोर्ट भेजी गई	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल।
इन राज्य सरकारों ने रिपोर्ट की समीक्षा की	मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं उड़ीसा।
इन राज्यों ने रिपोर्ट के मसौदे तैयार किए	आसाम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैन्ड. राजस्थान तथा अखिल भारतीय रिपोर्ट।

अब तक की प्रगति

इस प्रकार 1976-77 के अन्त तक भारत सरकार, समस्त संघ राज्य क्षेत्र तथा तीन अन्य राज्यों (आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) से संबंधित रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी थीं। शेष राज्यों की रिपोर्टें ऊपर बताई गई विभिन्न अवस्थाओं में थीं।

अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का सहयोग

कैंब्रिज विश्वविद्यालय के शिक्षा आचार्य प्रो० पी० एच० हिर्स्ट ने 7 जून, 1976 को राष्ट्रीय स्टाफ कालिज का निरीक्षण किया तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों के लिए आयोजित वित्तीय प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक संगोष्ठी का संचालन किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासकों एवं आचार्यों के एक दल ने 8 जून, 1976 को राष्ट्रीय स्टाफ कालिज का दौरा किया। इसने संकाय के निदेशक तथा सदस्यों के साथ पारस्परिक हित के विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

"भारत और इग्लैंड के युवा विज्ञानियों का एक दूसरे के देश में आने-जाने का कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्टर्लिंग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री आर० बाल ने 2-8 अगस्त, 1976 तक स्टाफ कालिज का दौरा किया। उन्होंने स्टाफ कालिज संकाय के सदस्यों के साथ परिचर्चा के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम म भी भाग लिया।

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के परामर्शदाता श्री डी० पी० नायर ने यूनेस्को के शैक्षिक क्षेत्रीय कार्यालय, बेंकाक की ओर से जकार्ता में उच्च स्तरीय कर्मशाला के लिए 24-28 अगस्त, 1976 तक होने वाली तैयारी बैठक में भाग लिया। इस तैयारी बैठक का उद्देश्य मार्च, 1977 में राष्ट्रीय कालिज में आयोजित होने वाले उच्चस्तरीय कर्मशाला के लिए कार्यक्रम तथा दिशा-निर्देश एवं राष्ट्रीय कर्मशाला की कार्यवाहियों आदि को तैयार करना था।

भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य प्रो० एम० वी० माथुर ने शिक्षा मंत्रालय तथा जर्मन जनवादी गणराज्य का यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोग की ओर से 20-26 सितंबर, 1976 तक बर्लिन (ज० ज० ग०) में "व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों का सामाजिक दायित्व" विषय पर आयोजित "सातवें अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय" कार्यक्रम में भाग लिया।

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के निदेशक प्रो० एम० वी० माथुर ने, शैक्षणिक नियोजन तथा प्रशासन में प्रशिक्षण की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के संबंध में 27 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1976 तक पेरिस में आयोजित अवः अभिकरण-विशेषज्ञ संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी का आयोजन स्वीडेन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (स्वी० अं०

वि० प्रा०) के वित्तीय सहयोग से शक्षणिक नियोजन क अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान (आई० आई० इ० पी०) ने किया।

युवक सेका कार्यक्रम के अन्तर्गत "कामन वैल्थ एशिया-पेसिफिक यूथ डेवेलपमेन्ट सेन्टर" की ओर से प्रधान कार्मिकों के लिए 7 अक्तूबर, 1976 को चंडीगढ़ मे आयोजित द्वितीय बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो० एम० वी० माथुर ने किया।

राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहायक निदेशक श्री० बी० एफ० सी० फाँग ने 21 अक्तूबर 1976 को राष्ट्रीय स्टाफ़ कालिज का निरीक्षण किया तथा संकाय के निदेशक और सदस्यों के साथ विचार-विनिमय किया।

प्रो० एम० वी० माथुर ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की ओर से 2 नवंबर, 1976 को आयोजित भारत-जर्मन संगोष्ठी में भाग लिया तथा दो लेख प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं—

(1) भारत में उच्चतर शिक्षा : कुछ बुनियादी तथ्य, तथा

(2) भारत में उच्चतर शिक्षा : कुछ झलकियाँ।

शैक्षिक नियोजन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, पेरिस के निदेशक डा० हेन्स वीलर ने 1 दिसम्बर, 1976 को राष्ट्रीय स्टाफ़ कालिज का दौरा किया तथा **"शैक्षिक नियोजन की नई दिशाएँ"** विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी का संचालन किया।

जोर्डनहिल शिक्षा महाविद्यालय, ग्लासगो के प्रधानाचार्य डा० टी० आर० बोन ने 6 जनवरी, 1977 को राष्ट्रीय स्टाफ कालिज का दौरा किया तथा 'इंगलैंड में शैक्षणिक प्रशासन' विषय पर आयोजित संगोष्ठी-परिचर्चा का संचालन किया।

राष्ट्रमंडलीय शैक्षिक प्रशासत परिषद् के कार्यपालक निदेशक डा० एच० टी० वी० हेरिश ने 10 जनवरी, 1977 को स्टाफ कालेज का दौरा किया तथा **शैक्षणिक प्रशासन : आस्ट्रेलियाई झांकी** विषय पर आयोजित तृतीय क्षेत्रीय परिषद् में भाग लेने के लिए बंगलादेश गए। इस परिषद् का संयोजन 12 से 18 जनवरी, 1977 तक ढाका में राष्ट्र-मडलीय शैक्षिक प्रशासन परिषद्, ढाका विश्वविद्यालय तथा बंगलादेश सरकार के संयुक्त प्रयास से किया गया। सम्मेलन के उप-विषय ये थे :-

(1) विकास के लिए शैक्षणिक नियोजन,

(2) पाठ्यचर्या संरचना, एवं

(3) शैक्षिक प्रणाली की संरचना।

उन्होंने **उत्तर-माध्यमिक शिक्षा और प्रौढ़-शिक्षा** उप शीर्षक (i) के अन्तर्गत कए लेख प्रस्तुत किया।

विचाराधीन वर्ष में स्टाफ कालिज के दौरे पर आने वाले कुछ अन्य प्रमुख शिक्षा-विदों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

—बोत्सवाना के श्री पैट्रिक वैन रेन्सवर्ग (14-4-1976)।
—श्री डियोस्टाडो पी० तुआसान (19-4-1976)।
—श्री लाल गुन्शकेरा, कार्यपालक निदेशक, युवक कार्य उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रमंडलीय एशिया-पेसिफिक क्षेत्रीय केन्द्र (23-8-1976)।
—प्रो० शम्सुलहक, बंगला देश से (अगस्त 1976)।
—श्री एम० डब्ल्यू० प्रिचर्ड, ब्रिटेन से (अगस्त 1976)
—डा० ली सुंग, कोरिया से।
—श्री तुंकू इस्माइल सेवा, सेइन्स विश्वविद्यालय, मलयेसिया (31-1-1978)।
—डा० स्टीबार्ड टाइम्समैन, यूनेस्को मुख्यालय संयुक्त राज्य शिष्टमंडल के सदस्य (15-3-1978)।
—डा० हुरले एशिया में शिक्षा हेतु यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बेंकाक (15-3-1978)।
—डा० अब्दुल लताफ, यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक के शैक्षिक नवीकरण एवं विकास के एशियाई केंद्र के प्रमुख।
—डा० आनन्दा डब्ल्यू पी० गुरुग, यूनेस्को, क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक के शैक्षणिक प्रबन्ध सलाहकार।

ग्राम विकास के लिए शिक्षा पर उच्चस्तरीय कर्मशाला

(विज्ञान भवन, नई दिल्ली : 17 मार्च से 26 मार्च, 1977 तक)

ग्राम विकास के लिए शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कर्मशाला का आयोजन, शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली तथा विकास के लिए शैक्षिक नवीकरण का एशियाई केंद्र, बेंकाक के सम्मिलित प्रयास से किया गया। यह भारत सरकार के आतिथ्य में हुआ।

उद्देश्य

इस कर्मशाला का मुख्य उद्देश्य सहभागी राज्यों को एक ऐसा सुअवसर प्रदान करना था जिसके अन्तर्गत वे पारस्परिक तकनीकी सहयोग के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाकर ग्राम विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रमों को लागू कर सकें।

इसका प्रमुख उद्देश्य प्रवृत्तियों, समस्याओं तथा मुद्दों का पता लगाना, अनुभवों का विनिमय और संश्लेषण, तथा यह विचार करना था कि किस प्रकार अंतःअभिकरण और अंतराअभिकरण सहयोग एवं नवीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं उपायों के माध्यम से अपने देश के ग्रामीण विकास के लिए प्रचलित तथा नियोजित कार्यक्रमों में सुधार किया जा सकता है।

सहभागी

इम कर्मशाला में ग्रामीण विकास से संबंधित 6 देशों के 31 विशेषज्ञ और प्रशासक एक दूसरे के निकट आ सके। इनमें से 4 अफगानिस्तान के, बंगलादेश, इन्डोनेशिया, नेपाल और फिलीपीन्स के पाँच-पाँच और मेजमान देश भारत के 7 व्यक्ति थे। ये व्यक्ति अपने देश के ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न अभिकरणों से संबद्ध थे। अतः उन्होंने अलग-अलग प्रकार की अनुशासनिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व किया।

तैयारी–कार्य

ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा प्रबंध संबंधी कार्यवाहियों की शृंखला में यह कर्मशाला अंतिम चरण था। सबसे पहले 24-28 अगस्त, 1976 तक इन्डोनेशिया में तैयारी समिति का आयोजन मुख्य समस्याओं और मुद्दों की जानकारी प्राप्त करने तथा छह संबद्ध देशों द्वारा योजना एवं दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय

कर्मशालाएं तथा उच्च-स्तरीय कर्मशाला का आयोजन करने के लिए किया गया। तत्पश्चात् भाग लेने वाले देशों में सितंबर, 1976 से फरवरी, 1977 के बीच अलग-अलग तिथियों पर राष्ट्रीय कर्मशालाएं आयोजित की जाती रहीं।

कार्य-प्रणाली

कर्मशालाओं के पूर्ण अधिवेशन में राष्ट्रीय कर्मशालाओं की रिपोर्टों के मुख्य कार्यक्रमों पर परिचर्चाएं हुईं। इसके पश्चात् प्रत्येक राष्ट्रीय दल ने निम्नलिखित छह विषयों पर अपने-अपने अलग-अलग विवरण तैयार किए -

(1) अंतर्विभागीय समन्वय तथा सहयोग।

(2) अंतराविभागीय समन्वय तथा सहयोग।

(3) परिवर्तनकारी अभिकर्ताओं की पहचान।

(4) परिवर्तनकारी अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण।

(5) ग्राम समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान तथा विकास के कामों में उनका सहभाजन।

(6) ग्राम विकास के लिए शिक्षा की समस्याएँ तथा उनसे निपटने की नीति।

इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के पश्चात् कर्मशाला के अंतर्देशीय दल की स्थापना की गई जिनका काम इन छह मुख्य विषयों के संदर्भ में समस्याओं तथा मुद्दों पर प्रकाश डालना तथा अपने अनुभवों का संश्लेषण करना था। छह विषयों पर तीन अंतर्देशीय दल बनाए गए थे। अधिवेशन में इन दलों के विवरणों पर विचार किया गया। इन छह विषयों की पृष्ठभूमि में तथा अधिवेशन में हुई चर्चाओं एवं दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपने विवरणों की समीक्षा तथा उनमें संशोधन करने के लिए अंतर्देशीय दलों की बैठक फिर आयोजित की गई।

राष्ट्रीय स्तर पर तथा ग्राम विकास के लिए शिक्षा क्षेत्रों में अंतर्देशीय सहयोग जारी रखने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण तैयार करने के लिए इन राष्ट्रीय दलों की फिर बुलाया गया।

एशिया, ए सी इ आई डी तथा बैंकाक में यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कर्मशाला का विवरण प्रकाशित किया गया है। कर्मशाला के सुझाव के अनुरूप भारत में राष्ट्रीय स्तर पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 7 में दिया गया है।

यूनेस्को का तीसवां जयंती समारोह

यूनेस्को के तीसवें जयंती समारोह के एक भाग के रूप में स्टाफ कालिज ने 22 मार्च, 1977 को एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। इसका विषय "शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन में यूनेस्को के योगदान पर कुछ छुट-पुट विचार" था। इस विषय पर मद्रास विश्वविद्यालय के उप-कुलपति तथा यूनेस्को के भूतपूर्व उप महा-निदेशक डा० मैलकम एस० आदिशेशैया ने व्याख्यान दिया।

समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव तथा यूनेस्को कार्यपालक मंडल के अध्यक्ष डा० प्रेम किरपाल ने की।

पुस्तकालय तथा प्रलेखीकरण संबंधी सेवाएं

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के पुस्तकालय में शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन तथा इससे संबद्ध विषयों पर पुस्तकों का पर्याप्त भंडार है। पुस्तकालय के पास लगभग 1,600 पुस्तकें तथा अन्य प्रकाशन हैं। इसके पास यू० एन० ओ०, यूनेस्को, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ० इ० सी० डी०), आई० एल० ओ० तथा यूनिसेफ़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों की रिपोर्टों का प्रचुर मात्रा में संग्रह है। इनका विषय शिक्षा दर्शन, शिक्षा समाज विज्ञान तथा शैक्षणिक नवीकरण आदि है। इस समय पुस्तकालय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन से संबंधित राज्यों की रिपोर्ट तथा अन्य प्रलेखों को देश के विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मंगाकर एकत्र करने के काम में लगा है।

पुस्तकालय शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन, प्रबंध एवं विकास तथा इससे संबद्ध विषयों की लगभग 150 पत्रिकाएँ अपने यहाँ मंगाता है। इन पत्रिकाओं में निकलने वाले महत्वपूर्ण लेखों की अनुक्रमणिका भी तैयार कर ली जाती हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पुस्तकालय का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहां तक कि छोटी अवधि के अभिविन्यास कार्यक्रमों में भी एक सत्र को पुस्तकालय के लिए सुरक्षित कर दिया जाता हैं ताकि भाग लेने वालों को शैक्षिक नियोजन, प्रशासन एवं प्रबंध के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सामग्री से परिचित कराया जा सके। पुस्तकालय अपने यहां उपलब्ध नवीनतम संस्करणों की एक त्रैमासिक सूची भी निकालता है।

विचाराधीन अवधि में लगभग एक हजार पुस्तकें तथा प्रलेख पुस्तकालय में जुटाए गए।

प्रकाशन

स्टाफ कालिज जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन करता है उसकी एक रिपोर्ट (प्राय: अनुलेख के आकार में) प्रकाशित करता है। विचाराधीन अवधि में निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित की गईं :

1. भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों के लिए प्रथम वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट (31 मई से 11 जून, 1976)।

2. सांख्यिकीय अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट (21-26 जून, 1976)*।

3. भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों के लिए द्वितीय वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट (5-15 जुलाई, 1976)*।

4. जम्मू और कश्मीर के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट (2-13 अगस्त, 1976)*।

5. उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों एवं शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी की रिपोर्ट (27-28 अगस्त, 1976)*।

6. हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (25 अक्टूबर से 3 नवंबर, 1976)*।

7. राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (8-20 नवंबर 1976)*।

8. लक्षद्वीप के माध्यमिक तथा वरिष्ठ बुनियादी विद्यालयों के प्रमुखों के लिए शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट (27 नवंबर से 2 दिसंबर 1976)*।

9. हरियाणा के महाविद्यालम प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (27 जनवरी से 5 फरवरी, 1977)*।

---

* अनुलेख के रूप में।

10. मेघालय, नागालैण्ड तथा मिज़ोरम जैसे उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (9 से 12 फरवरी, 1977)*।

11. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रधान कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (14 से 17 फरवरी, 1977)*।

12. ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा पर उच्चस्तरीय कर्मशाला की रिपोर्ट (17 से 26 मार्च, 1977)*।

13. सिक्किम में शैक्षणिक सुविधाओं का विकास—श्री वेदप्रकाश।

14. शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन में यूनेस्को के योगदान पर कुछ छुट-पुट विचार—डा० मैलकम एस० आदिशेशैया।

15. शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण पर रिपोर्ट :

—आंध्र प्रदेश

—अरुणाचल प्रदेश

—दादरा और नगर हवेली

—दिल्ली

—हरियाणा

—लक्षद्वीप

—मिजोरम

—पांडिचेरी

—उत्तर प्रदेश

—भारत सरकार

एशियाई संस्थान तथा स्टाफ कालिज के प्रकाशनों की अद्यतन सूची** परिशिष्ट VIII में दी गई है।

---

* अनुलेख के रूप में।

** सभी प्रकाशन निःशुल्क हैं और सीमित संख्या में स्टाफ कालिज से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अभिस्वीकृति

स्टाफ कालिज, केन्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एशिया में शिक्षा से संबंधित यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक ने जो सहायता और सहयोग प्रदान किया, उसके लिए अत्यंत आभारी है। यह अपने क्षेत्र के उन विभिन्न विशेषज्ञों का जिन्होंने अतिथि वक्ता या स्रोता के रूप में कार्य किया तथा उन कार्मिकों के भी प्रति जिन्होंने विचाराधीन अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजत एवं संचालन के कार्य में सहायता एवं सहयोग प्रदान किया, आभार व्यक्त करता है।

परिशिष्ट

परिषद् के सदस्यों की सूची
(31-3-1977)

1. डा० पी० सी० चंद्र,
केन्द्रीय शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री,
नई दिल्ली ।
(अध्यक्ष)

2. श्री बसंतराव उइके,
शिक्षा मंत्री,
मध्य प्रदेश,
भोपाल ।

3. श्री एम० वी० कृष्ण राव,
शिक्षा मंत्री,
आंध्र प्रदेश,
हैदराबाद ।

4. श्री एस० सी० सिन्हा,
मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री,
असम,
शिलांग ।

5. श्रीमती एस० काकोदकर,
मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री,
गोवा ।

6. श्री राघारमण,
मुख्य कार्यकारी पार्षद,
दिल्ली ।

7. श्री जे० एस० मेहता,
शिक्षा आयुक्त,
राजस्थान,
जयपुर ।

8. श्री के० एन० चन्ना,
सचिव,
शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

9. सचिव,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

10. सचिव,
भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

11. सचिव,
योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

12. श्री के० पी० सिन्हा,
शिक्षा आयुक्त,
बिहार सरकार,
पटना ।

13. श्री आर० वी० चंद्रमौलि,
शिक्षा सचिव,
गुजरात,
अहमदाबाद ।

14. डा० वी० वेंकिता नारायणन,
शिक्षा सचिव,
केरल,
त्रिवेंद्रम ।

15. प्रो० सतीश चंद्र,
अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली ।

16. डा० मैलकम एस० आदिशेशैया,
उप-कुलपति,
मद्रास विश्वविद्यालय,
मद्रास ।

17. प्रो० रईस अहमद,
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्,
नई दिल्ली ।

18. डा० एस० एन० मेहरोत्रा,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

19. श्री जे० पी० नायक,
सदस्य-सचिव,
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान
परिषद् (आई सी एस एस आर),
नई दिल्ली ।

20. श्री राजेश्वर प्रसाद,
निदेशक,
लालबहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी,
मसूरी ।

21. डा० आबाद अहमद,
प्राध्यापक,
प्रबन्ध अध्ययन संकाय,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली ।

22. डा० इकबाल नारायण,
विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

23. प्रो० एम० वी० माथुर,
निदेशक,
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज,
नई दिल्ली ।

(सदस्य-सचिव)

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची
(31-3-1977)

1.	डा० पी० सी० चन्द्र, शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2.	प्रो० सतीश चन्द्र, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	श्री के० एन० चन्ना, सचिव, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
4.	श्री एस० सी० सिन्हा, मुख्य मन्त्री एवं शिक्षा मंत्री, असम, शिलाँग ।	सदस्य
5.	डा० एस० एन० मेहरोत्रा, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	सदस्य
6.	सचिव, वित्त मंत्रालय या (उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	डा० मेलकम एस० आदिशेशैया, उप-कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।	सदस्य
8.	प्रो० एम० वी० माथुर, निदेशक, राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

शैक्षणिक आयोजनाकारों व प्रबन्धकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सामान्य

शैक्षणिक आयोजनाकारों व प्रबन्धकों का राष्ट्रीय स्टाफ कालिज सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिट्रीकृत सोसाइटी के रूप में दिसम्बर, 1970 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय स्टाफ कालिज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कार्मिकों के लिए शैक्षणिक आयोजन और प्रबन्ध में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उन सुविधाओं को जारी रखना था जो इससे पहले एशियाई शिक्षा योजना और प्रबन्ध संस्थान द्वारा प्रदान की जाती थीं।

2. देयताओं का विवरण

कालिज के नियमों में प्राप्ति और अदायगी लेखे और देयताओं का विवरण तैयार किए जाने की उपेक्षा की गई है। तथापि 1975-76 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस विषय में टिप्पणी किए जाने के बावजूद भी कालिज द्वारा देयताओं का विवरण तैयार नहीं किया गया था। कालिज ने बताया (मार्च, 1978) कि अपेक्षित फार्म को अनुमोदित कराने का मामला सरकार के साथ उठाया जा रहा था और उसके बाद विवरण तैयार किया जाएगा।

3. प्रत्यक्ष सत्यापन

बेकार माल की वस्तुओं और पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन क्रमश: 1975 और जून 1973 के बाद नहीं किया गया है। कालिज ने बताया (मार्च, 1978) कि प्रत्यक्ष सत्यापन कराये जाने की कार्रवाई शीघ्र ही की जा रही है।

नई दिल्ली
दिनांक : 23 जून, 1978

हस्ताक्षर
(रमेश चन्द्र सूरी)
महालेखाकार
केन्द्रीय राजस्व

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने शैक्षणिक आयोजनाकारों व प्रबन्धकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के पूर्ववर्ती लेखाओं की जाँच कर ली है और मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा-परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों तथा कालिज की बहियों में किये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और कालिज के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

नई दिल्ली
दिनांक : 23 जून, 1978

हस्ताक्षर
(रमेश चन्द्र सूरी)
महालेखाकार
केन्द्रीय राजस्व

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज
31-3-77 के अन्तशेष का ब्यौरा

	रुपयों में
भारत सरकार से मिला अनुदान	58,033.27
440.17 डालर के यूनेस्को कूपनों से प्राप्त	4,049.57
जिला शिक्षा अधिकारी सम्मेलन के लिए मन्त्रालय से प्राप्त अनुदान	39,779.66
तृतीय अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के लिए एनसीईआरटी से प्राप्त अनुदान	41,930.86
ग्रामीण विकास की शिक्षा के लिए यूनेस्को से प्राप्त अनुदान	(—) 19,727.27
जोड़	1,24,066.09

हस्ता०
एल० के० राठौड़
रजिस्ट्रार
शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली ।

शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली
1-4-1976 से 31-3-77 तक की अवधि की आवतियां तथा भुगतान

आवतियां			भुगतान		
	रु०	रु०		रु०	रु०
अथ शेष			**आयोजनेत्तर**		
(क) हाथ रोकड़	1,530.10		**स्थापना खर्च**		
(ख) बैंक में शेष	3,37,958.48		(क) वेतन तथा भत्ते	2,72,156.00	
(ग) 25.74 डालर के यूनेस्को कूपनों से	229.08	3,39,717.66	(ख) पेंशन तथा उपदान	13,477.30	2,85,633.30
			आयोजना		
भारत सरकार से सहायता अनुदान			कार्यक्रम (सीधे खर्च)		29,767.37
(क) आयोजनेतर	2,52,534.00		**स्थापना पर खर्च**		
(ख) आयोजना	12,00,000.00	14,52,534.00	वेतन तथा भत्ते	2,37,721.62	

आवतियां			भुगतान		
	रु०	रु०		रु०	रु०
नियत कार्य के लिए अनुदान			छुट्टी यात्रा रियायत एवं स्वास्थ्य	17,244.35	
(क) तृतीय शिक्षा सर्वेक्षण के लिए एन सी ई आर टी से		1,14,000.00	समयोपरि भत्ता	17,718.30	
(i) आवधिक जमा आवतियों पर ब्याज	387.39		स्टाफ तथा सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता	5,087.50	
(ii) विविध आवतियां	43.50	430.89	भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	4,336.00	
(ख) ग्रामीण विकास में शिक्षा के निए यूनेस्को से प्राप्त (800.00 डालर= 7048,45 रु०)		6,960.00	छुट्टी वेतन तथा पेन्शन अंशदान	6,610.45	
			सी० जी० एच० एस० अंशदान	394.22	2,89,112.44
इन्हें अप्रैल, 1977 में भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराया गया		7,048.45	**अन्य खर्चे**		
			प्रकाशन	2,739.34	
			यूनेस्को कूपनों की खरीद	4,600.00	

आवतियां			भुगतान		
	रु०	रु०		रु०	रु०
500.00 डालर के यूनेस्को कूपनों की खरीद		4,600.00	पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद		
विविध आवतियां					
होस्टल किराया		20,107.10	पत्रिकाएं 38,703.15 85.57 डालर के यूनेस्कों कूपनों से पुस्तकों की खरीद 779.51	39,482.66	
पंखा पेशगी पर ब्याज		5.50			
कर्मचारियों से सी०जी०एच०एस०		129.50	मनोरंजन पर खर्च	413.15	
वसूली योग्य पेशगियां					
			बिजली पानी का खर्च	23,268.81	
(क) त्यौहार पेशगी		2,385.00			
			फर्नीचर तथा साज सज्जा	40.00	
(ख) वाहन पेशगी		750.00			
			फर्नीचर मरम्मत	545.55	
(ग) पंखा पेशगी		20.00			
			गरम तथा ठंडे पानी पर		
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता तथा वेतन की अनिवार्य जमा राशि		20.851.65	खर्च	5,035.75	

आवतियां	रु०	रु०	भुगतान	रु०	रु०
प्रेषित राशियां			बीमा खर्च	1,534.97	
आयकर		24,370.00	वर्दियां	14,381.76	
सामान्य भविष्य निधि तथा पेशगियां		73,259.00	भवन के रख-रखाव पर खर्च	650.00	
मकान किराया		225.32	कार्यालय तथा बिजली का सामान	17,503.57	
मकान निर्माण पेशगी		2,400.00	अन्य फुटकर खर्च	38,246.60	
अनिवार्य जमा योजना		43,256.00	दर तथा कर	70,735.05	
पी०आर०एस०एस० तथा सी०टी०डी०		5,740.00	कार्यालय की मशीनों की मरम्मत	3,732.22	
			स्टाफकार के रख-रखाव पर	9,294.53	
	जोड़	21,18,790.07	स्टाफ कार के लिए पेट्रोल तथा तेल खर्च	25, (9.19	

आवतियाँ		भुगतान		
	रु०		रु०	रु०
पिछला	21,18,790.07	लेखन सामग्री	32,487.69	
		टेलीफोन खर्च	26,168.35	
		डाक तथा तार खर्च	13,335,41	3,30,064 60
		जमा राशि		
		डाक तार के पास जमा	5,000.00	
		सी० पी० डब्ल्यू० डी० के पास जमा	5,46,667.00	
		अन्य एजेन्सियों के पास जमा	600.00	5,52,267.00
		वसूली योग्य पेशगियाँ		
		त्यौहार पेशगी		3,025.00
		वाहन पेशगी		3,000.00
		विविध पेशगी		2,347.06

आवतियां			भुगतान		
	रु०	रु०		रु०	रु०
पिछला	जोड़	21,18,790.07	**सौंपे गये कार्यक्रम**		
			(1) शिक्षा मन्त्रालय का जिला शिक्षा अधिकारी सम्मेलन		
			(क) अनुदान से रिफण्ड	1,06,436.99	
			(ख) सम्मेलन पर खर्चा	61,669.34	1,68,106.33
			(2) तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण		
			(i) वेतन तथा भत्ते	97,837.30	
			अन्य खर्चे	29,779.14	1,27,616.44
			ग्रामीण विकास में शिक्षा—यूनेस्को कार्यक्रम		33,735.72
			अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा वेतन अनिवार्य जमा का भुगतान		20,851.65

आवतियां			भुगतान		
	रु०	रु०		रु०	रु०
पिछला		21,18,790,07	**प्रेषित राशियां**		
			आयकर		24,370.00
			सामान्य भविष्य निधि/ सामान्य भविष्य निधि पेशगियां		73,259.00
			मकान किराया		172.07
			मकान निर्माण पेशगी		2,400.00
			अनिवार्य जमा योजना		43,256.00
			पी० आर० एस० एस० और सी० टी० डी०		5,740.00
			अन्त शेष		
			(क) हाथ रोकड़	3,439.73	
			(ख) बैंक में राशि	1,09,528.34	
			(ग) 440.17 डालर मूल्य के यूनेस्को कूपन	4,049.57	1,17,017.64

आवतियां			भुगतान		
	रु०	रु०		रु०	रु०
पिछला		21,18,790.07	(घ) डालर (800 डालर- जिन्हें भारतीय रुपयों में बदलवाया जा सकता है।)	7,048.45	7,048.45
	जोड़	21,18,790.07		जोड़	21,18,790.07

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान राशि उन्हीं कार्यों के लिए इस्तेमाल की गई है जिसके लिए यह राशि मंजूर की गई थी और जो शर्तें इस अनुदान से जुड़ी हुई थीं उन्हें बाकायदा पूरा किया गया है।

हस्ता०
एल० के० राठौड़
रजिस्ट्रार
शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज,
नई दिल्ली।

हस्ता०
एम० वी० माथुर
निदेशक
शिक्षा आयोजकों तथा प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज,
17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016,

1976-77 की लेखा-रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के उत्तर

अ० अनु० 1. **सामान्य**

इस विषय में कोई टिप्पणी अभीष्ट नहीं ।

अ० अनु० 2. **देनदारियों का विवरण**

प्रपत्र को अनुमोदनार्थ सरकार के पास भेजा गया है । ज्यों ही सरकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके अनुमोदित प्रपत्र हमारे पास भेजेगी, अभीष्ट विवरण प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

अ० अनु० 3. **प्रत्यक्ष सत्यापन**

अप्रयुक्त स्टाक की वस्तुओं और पुस्तकालय की पुस्तकों के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य शुरु कर दिया गया है ।

संकाय के सदस्य
(31-3-1977)

निदेशक	—	प्रो० एम० वी० माथुर
परामर्शदाता	—	श्री डी० पी० नायर
अधिसदस्य	—	श्री सी० एल० सपरा
प्रायोजना अधिकारी	—	श्री एम० कश्यप
अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी	—	श्री एस० एस० दुदानी
अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी	—	श्री एस० सी० मित्तल

शिक्षा प्रसासन का सर्वेक्षण

विशेष कार्य अधिकारी	—	डा० पी० डी० शुक्ला
अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी	—	श्री टी० के० डी० नायर

स्टाफ में परिवर्तन

कार्यपालक निदेशक श्री वेद प्रकाश 21 अगस्त, 1976 को शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त होने के लिए पदमुक्त हुए।

श्री डी० पी० नायर को जो पहले योजना आयोग, नई दिल्ली में सलाहकार (शिक्षा) थे, 1-3-1976 को परामर्शदाता (सहयोगी) नियुक्त किया गया।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के प्रशासनिक अधिकारी श्री एन० रामचंद्रन 1-8-1976 को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए।

शिक्षा सर्वेक्षण एकक के अनुसंधान अधिकारी श्री सी० पी० तिवारी 17-5-1976 को कार्यालय से चले गए।

श्री एम० कश्यप जो पहले शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में उप-शिक्षा सलाहकार थे 11-10-1976 को प्रायोजना अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए और 31-3-1977 को पदमुक्त हुए।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के स्नातकोत्तर शिक्षक श्री एस० सी० मित्तल 20-12-1976 को अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी के पद पर नियुक्त हुए और 31-3-1977 को पदमुक्त हुए।

अधिसदस्य डा० सी० बी० पद्मनाभन यूनेस्को के एक दल कार्य के सिलसिले में भारत के बाहर विदेश सेवा के अंतर्गत 25-2-1977 को शैक्षणिक वित्तीयन विशेषज्ञ के पद पर कम्पाला (युगान्डा) में प्रतिनियुक्त हुए।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के उपाचार्य श्री सी० एल० सपरा 14-3-1977 को अधिसदस्य के पद पर नियुक्त हुए।

ग्राम विकास शिक्षा पर उच्चस्तरीय कार्यगोष्ठी
(नई दिल्ली : 17 मार्च से 26 मार्च, 1977 तक)

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संभावित अनुवर्ती कार्यवाही

1. शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा को ग्राम विकास से संबद्ध करने के विचार को सार्वजनीन रूप प्रदान करने के लिए इस विषय पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल से विचार-विमर्श करके कोई उपयुक्त राष्ट्रीय नीति तय कर सकता है ।

2. शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक ग्राम विकास शिक्षा समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है जिनमें विभिन्न संबंधित विकास विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए । समिति को, इस दिशा में जो भी समन्वित कार्यवाही करनी हो उससे संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए । यह समिति शिक्षा मंत्रालय और अन्य संबद्ध विभागों के बीच इस विषय पर एक समझौते के ज्ञापन की रूपरेखा सुझा सकती है ताकि ग्राम विकास शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कार्यवाही की जा सके । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को एक विषय-दल का गठन करना चाहिए जो ग्राम विकास शिक्षा की ओर तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर समन्वित अनुसंधान को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दे ।

3. केन्द्रीय समिति के ही ढाँचे पर राज्य स्तर पर भी संबद्ध राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समितियों का गठन किया जा सकता है । यह भी समन्वित कार्यवाही संबंधी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर सकती है और उसके लिए एक बोध-ज्ञान-ज्ञापन तैयार किया जा सकता है । विविध समन्वित कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऐसी समन्वय समितियां बनाई जा सकती हैं । प्रत्येक विकास विभाग को इस सम्बन्ध में दृढ़ नीति अपनानी चाहिए और उच्चतम स्तर से लेकर निम्नतम स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस नीति के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए । प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना भी वांछनीय है । विकास-खंड के अंतर्गत स्कूल और विस्तार एजेन्सियों की परस्पर प्रभावी भूमिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

4. शिक्षा को ग्राम विकास से संबद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाते हुए कार्य-अनुभव को समृद्ध बनाया जाए । माध्यमिक शिक्षा की अवस्था पर हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि सभी छात्र पूर्वव्यावसायिक स्तर की प्रवीणता अर्जित कर लें । विभिन्न कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में अध्यापकों को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न विकास मंत्रालयों/विभागों के अधीन

विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों/महाविद्यालयों और साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के भी अध्यापकों को कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यों का अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए और उन्हें समय-समय पर कृषि विश्वविद्यालयों और ग्राम विकास से सम्बन्धित अन्य उच्च शिक्षा-संस्थाओं में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में उनकी जानकारी अद्यतन बनी रहे। ग्राम विकास अध्यापकों को स्कूलों में शिक्षण-कार्य प्रारंभ करने के पहले इस सम्बन्ध से क्षेत्र-अनुभव प्राप्त करना भी उपयोगी रहेगा। अध्यापकों को भर्ती करके उन्हें अध्यापन कार्य पर लगाने से पहले सेवाकालीन प्रशिक्षण देने से इस प्रकार का अनुभव सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा।

5. प्रगतिशील किसानों, विशेषकर छोटे किसानों से भेंट करने से भी आधुनिक कृषि में छात्रों और अध्यापकों की रुचि बढ़ेगी। इसी प्रकार अन्य विकास विभागों के संयंत्रों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों, आदि स्थलों के वीक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण आवास-इकाइयों के डिजाइनों पर्यावरणिक अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने और ग्रामवासियों की आय वृद्धि में सहायक क्रियाकलापों में सुधार लाने की दृष्टि से अध्यापकों को प्रशिक्षत करने के लिए सी० एस० आई० आर० और अन्य उच्चस्तरीय संस्थाओं से ली जाने वाली तकनीकी सहायता का भी पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। स्कूल और समाज के सम्बन्धों की भी अत्यन्त सुदृढ़ एवं घनिष्ठ बनाने का यत्न किया जाना चाहिए और स्थानीय दस्तकारों के रूप में उपलब्ध सामुदायिक साधनों का भी पूरा उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार स्वैच्छिक अथवा स्वयंसेवी संगठनों की संभाव्यताओं का भी पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए और इन सगठनों का पूरा-पूरा विकास होना चाहिए।

6. राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है और राष्ट्रीय स्टाफ कालिज इस संबंध में साधक कार्मिकों की व्यवस्था करके आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। विभिन्न विभागों और एजेन्सियों के प्रधान कार्मिकों का समन्वित उपागम में पुनरभिविन्यास करने के लिए अल्पावधिक पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जा सकती है। उन्हें एतत्संबंधी उपयुक्त प्रलेख सामग्री के प्रकाशन में भी मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय सम्मेलन और उच्चस्तरीय कार्यगोष्ठियों की सिफ़ारिशों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए स्टाफ कालिज में एक स्थायी समीक्षा समिति का गठन किया जा सकता है। इस समिति में केंन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं।

एशिया संस्थान/स्टाफ कालिज के प्रकाशनों की अद्यतन सूची

एशिया संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्री

1. ज़िले में शैक्षणिक नियोजन—डा० जे० पी० नायक (1969)।
2. संस्थागत नियोजन—डा० जे० पी० नायक (1969)।
3. विद्यालय सुधार परियोजनाएं एवं सामुदायिक सहायता—श्री० एन० डी० सुदंरबाडिवेलू (1969)।
4. ज़िला-स्तर पर अल्पव्ययसाध्य शैक्षणिक सुधार के कार्यक्रम—श्री एम० वी० राजगोपाल (1969)।
5. शैक्षणिक नियोजन की आधुनिक प्रवृत्तियां—श्री सी० बी० पद्मनामन (1969)*
6. भारत में शैक्षणिक नियोजन के प्रशासनिक पक्ष पर कुछ विचार—श्री वेदप्रकाश (1969)*
7. शैक्षणिक नियोजन कार्मिकों के प्रशिक्षण पर कुछ अभिमत—श्री वेदप्रकाश (1969)*
8. ज़िला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका, कार्य, भर्ती और प्रशिक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का विवरण (1970)।
9. जीवनपर्यंत शिक्षा - जीवनपर्यंत समाकलित शिक्षा पर हुई विशेषज्ञों की बैठक का विवरण (1970)।
10. एशियाई क्षेत्र में शैक्षणिक नियोजन संबंधी कुछ चुने हुए आंकड़े (1970)*।
11. शैक्षणिक नियोजन लागू करने के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू—प्रो० एम० वी० माथुर (1970)।

---

* अनुलेख के रूप में।

12. गुजरात, मैसूर और उड़ीसा में शैक्षणिक नियोजन एंव प्रशासन पर आयोजित राज्य संगोष्ठियों के विवरण ।

13. शिक्षा के लिए साधन जुटाने से संबंधित अध्ययन-दल का विवरण (1971) ।

14. शैक्षणिक प्रशासन में आधुनिक प्रबंध प्रविधियां (1971)

15. शिक्षा संबंधी आंकड़ों पर आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी का विवरण (1971)* ।

16. गरुडालेन्ड नियोजन अभ्यास (खंड 1, 2) (1971)* ।

17. शैक्षणिक नियोजन एवं प्रबंध—शैक्षणिक नियोजन एवं प्रबंध पर आयोजित उच्चस्तरीय प्रशिक्षण संगोष्ठी का विवरण (1973)* ।

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के प्रकाशन

1. जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबद्ध अध्ययन दल का विवरण (1972) ।

2. भारत में शैक्षणिक नवाचार—कुछ प्रयोग (1974) ।

3. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विशेष संदर्भ में भारतीय शिक्षा की प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था (1974)* ।

4. निम्नांकित राज्यों के शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन पर आयोजित राज्य संगोष्ठियों का विवरण : आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैन्ड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और प० बंगाल (1969-71) ।

5. एशिया संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा (1962-72) (1974)* ।

6. शिक्षितों की बढ़ती हुई संख्या और शैक्षिक अवसरों की खोज - जनसंख्या गतिकी और शिक्षा पर यूनेस्को द्वारा आयोजित विशेषज्ञों के राष्ट्रीय सम्मेलन का विवरण (अक्तूबर 28-31, 1974)* ।

---

*अनुलेख के रूप में ।

7. हरियाणा में शैक्षणिक प्रशासन के आधुनिकीकरण से संबद्ध अभिविन्यास पाठ्यक्रम का विवरण (जनवरी 12, फरवरी 14, 1975)*।

8. अफ़गानिस्तान के शिक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित विशेष अध्ययन कार्यक्रम का विवरण (नवंबर 11, 74 से जनवरी 18, 1975)*।

9. हिमाचल प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विवरण (अप्रैल 17-29, 1975)*।

10. केंद्रीय विद्यालयों के अभिविन्यास पाठ्यक्रम का विवरण (जून 5-13, 1975)*।

11. केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अभिविन्यास पाठ्यक्रम का विवरण (अक्तूबर 16-28, 1975)*।

12. उत्तर-पूर्व अंचल के राज्य शिक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित त्रिमासीय शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विवरण (जनवरी 1 से मार्च 31, 1976)*।

13. जम्मू-कश्मीर के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अभिविन्यास पाठ्यक्रम का विवरण (फरवरी 16-26, 1976)*।

14. 10+2+3 ज़िला शिक्षा अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण (मार्च 6-8, 1976)।

15. शैक्षणिक प्रशासन के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण के विवरण :—

—अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह

—आंध्र प्रदेश

—अरुणाचल प्रदेश

—चंडीगढ़

—दादरा-नगर हवेली

—दिल्ली

—गोवा, दमन और दीव

—हरियाणा

---

* अनुलेख के रूप में।

—लक्षद्वीप

—मिज़ोरम

—पांडिचेरी

—उत्तर प्रदेश

—भारत सरकार

16. भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए आयोजित पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण (मई 31 से जून 11, 1976)*।

17. सांख्यिकी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विवरण (जून 21-26, 1976)*

18. भारतीय विश्वविद्यालयों के वित-अधिकारियों के लिए आयोजित दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण (जुलाई 5-15, 1976)*।

19. जम्मू-कश्मीर के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण (अगस्त 2-13, 1976)*

20. उत्तर-पूर्व अंचल के शिक्षा सचिवों/लोक शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी का विवरण (अगस्त 27-28, 1976)*।

21. हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम का विवरण (अक्तूबर, 25 से नवंबर 31, 1976)*।

22. राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम का विवरण (नवंबर 8-20, 1976)*।

23. लक्षद्वीप के माध्यमिक एवं सीनियर बेसिक स्कूलों के मुख्याध्यापकों के लिए शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण (नवंबर 27 से दिसंबर 2, 1976)*।

24. हरियाणा के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अभिविन्यास पाठ्यक्रम का विवरण (जनवरी 27 से फरवरी 5, 1977)*

---

*अनुलेख के रूप में।

25. मेघालय, नागालैन्ड और मिजोरम के नार्थ-इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय से संबद्ध कालिजों के प्रिंसिपलों के अभिविन्यास कार्यक्रम का विवरण (फरवरी 9-12, 1977)* ।

26. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रधान कार्मिकों के अभिविन्यास कार्यक्रम का विवरण (फरवरी 14-17, 1977)* ।

27. ग्राम विकास शिक्षा संबंधी उच्चस्तरीय कार्यगोष्ठी का विवरण (मार्च 17-26, 1977)* ।

28. सिक्किम में शिक्षा के अवसरों का विस्तार—श्री वेद प्रकाश ।

29. शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन में यूनेस्को के योगदान पर कुछ विशृंखला विचार — डा० मालकोम एस० आदिशेशैया ।

---

*अनुलेख के रूप में ।